UPKU010004212014

न्यायालय–अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं०–1, कुशीनगर, स्थान–पडरौना।

पीठासीन अधिकारी– (इफ़राक अहमद), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06193

सत्र परीक्षण संख्या–88/2014

उत्तर प्रदेश सरकार

–––––अभियोजन पक्ष,

बनाम

1– उगन पुत्र कोदई,
2– मोतेश्वरी पत्नी उगन,
3– अकलू पुत्र उगन,
4– इन्द्रावती पत्नी अकलू,
साकिन–पिपरासी, थाना–कुबेरस्थान, जिला–कुशीनगर।

–––––––अभियुक्तगण,

मुकदमा अपराध संख्या–186/2012,
धारा–306, भा०दं०सं०,
थाना– कुबेरस्थान,
जिला–कुशीनगर।

निर्णय

1– प्रस्तुत मामला मुकदमा अपराध संख्या–186/2012, धारा–306, भारतीय दण्ड संहिता, थाना–कुबेरस्थान, जिला–कुशीनगर का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जा रहा है, जिसे विचारण हेतु विद्वान सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुशीनगर द्वारा दिनांक 04.03.2014 को श्रीमान जिला एंव सत्र न्यायाधीश महोदय के न्यायालय में सुपुर्द किया गया, जो माननीय जनपद न्यायाधीश, कुशीनगर के आदेश दिनांकित 15.11.2025 के अनुपालन में, अन्तरित होकर इस न्यायालय को विचारण हेतु प्राप्त हुआ।

2– वादी मुकदमा सुरेन्द्र गुप्ता (पी०डब्लू–1)की ओर से तहरीर (प्रदर्श क–1) थाना थानाध्यक्ष कुबेरस्थान को इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि "प्रार्थी सुरेन्द्र गुप्ता पुत्र शिवराज गुप्ता, ग्राम महुअवाँ बुजुर्ग, थाना तुर्कपट्टी, जनपद कुशीनगर का निवासी है। उसकी बहन की शादी लगभग 9 वर्ष पूर्व उगन गुप्ता पुत्र कोदई के लड़के रमेश गुप्ता से हुई थी, जो ग्राम पिपराजी थाना कुबेरस्थान, जनपद कुशीनगर का निवासी है। रमेश गुप्ता अपने भाई व माता पिता से अलग रहते थे और मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते है। दिनांक 09.01.2012 को उगन गुप्ता पुत्र कोदई, मोतेश्वरी पत्नी उगन व अकलू पुत्र उगन, इन्द्रावती पत्नी अकलू व अकलेश पुत्र उगन द्वारा उसकी बहन को मारकर हाथ तोड़ दिये थे, जो स्थानीय थाने में मुकदमा पंजीकृत है। जिसके चलते बहन व बहनोई को जान से मारने की धमकी देते थे। दिनांक 06.04.2012 को रमेश गुप्ता जो उसके बहनोई है मजदूरी करने हेतु चले जाने के बाद लगभग 11.30 बजे घर में अकेला पाकर उसकी बहन को (राजकली पत्नी रमेश गुप्ता) मारपीटकर व मिट्टी का तेल डालकर उगन पुत्र कोदई, मोतेश्वर पत्नी उगर, अकलू पुत्र उगन, इन्द्रावती पत्नी अकलू

व अखिलेश पुत्र उगर ग्राम पिपरासी थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर द्वारा जलाकर मार दिये तथा घर छोड़कर सभी व्यक्ति फरार हो गये। उसके बहनोई रमेश गुप्ता किसी के द्वारा सूचना पाकर घर आया तो देखा कि उसकी पत्नी राजकली नग्न अवस्था में जली मरी पड़ी थी। चिल्लाने पर शोर करने पर ग्राम के लोग इकट्ठा हुये तथा उसे रमेश गुप्ता द्वारा दूरभाष पर सूचित किया कि उसकी पत्नी को जलाकर डसके घर वाले मार डाले है। वह तुरन्त वहां पहुँचा तो देखा कि उसकी बहन की लाश पड़ी थी।''

3– वादी मुकदमा सुरेन्द्र गुप्ता के उक्त लिखित सूचना प्रदर्श क– 1 के आधार पर थाना–कुबेरस्थान, जिला–कुशीनगर में मुकदमा अपराध संख्या–186/2012**,** धारा–147,302/34,भारतीय दण्ड संहिता के तहत अभियुक्तगण उगन, मोतेश्वरी, अकलू, इन्द्रावती व अकलेश के विरूद्व दिनांक 06.04.2012 को समय 11.30 बजे दर्ज किया गया।

4– मामले के विवेचक थानाध्यक्ष सौदागर राय (पी०डब्लू–8) द्वारा बाद विवेचना अभियुक्तगण उगन, मोतेश्वरी, अकलू व इन्द्रावती के विरूद्व आरोप पत्र धारा–306 भारतीय दण्ड संहिता में विचारण हेतु प्रेषित किया गया,जिसपर न्यायालय द्वारा दिनांक 29.05.2012 को संज्ञान लिया गया है।

5– अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्व–306 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप दिनांक 27.03.2014 को विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया एवं विचारण की याचना की।

6– अभियोजन पक्ष ने आरोपों को साबित करने के लिये निम्नलिखित साक्षियों को परीक्षित कराया हैः–

क्रम संख्या	अभियोजन साक्षी	साक्षी का नाम	विवरण
1–	पी०डब्लू–1	सुरेन्द्र गुप्ता	वादी मुकदमा
2–	पी०डब्लू–2	रमेश गुप्ता	तथ्य/पंचनामा के साक्षी
3–	पी०डब्लू–3	रीता	तथ्य के साक्षी,
4–	पी०डब्लू–4	कलावती,	तथ्य के साक्षी,
5–	पी०डब्लू–5	मंजू	तथ्य के साक्षी,
6–	पी०डब्लू–6	डा० राजकुमार गुप्ता,	पोस्टमार्टम साक्षी,
7–	पी०डब्लू–7	प्रियंका गुप्ता,	तथ्य के साक्षी
8–	पी०डब्लू–8	थानाध्यक्ष सौदागर राय,	विवेचक,
9–	पी०डब्लू–9	निरीक्षक सत्येन्द्र कुँवर,	दूसरे विवेचक,

7– अभियोजन पक्ष की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य में निम्नलिखित अभिलेख दाखिल किये गये हैः–

क्रम संख्या	अभियोजन प्रपत्र	प्रदर्श संख्या
1–	तहरीर	प्रदर्श क–1,
2–	पोस्टमार्टम रिपोर्ट	प्रदर्श क–2,
3–	फर्द बरामदगी	प्रदर्श क–3,

4–	घटना स्थल की नक्शा नजरी	प्रदर्श क–4,
5–	जी०डी० रपट	प्रदर्श क–5,
6–	गिरफ्तारी मेमो	प्रदर्श क–6,
7–	आरोप पत्र	प्रदर्श क–7,
8–	चिक एफ०आई०आर०	प्रदर्श क–8,
9–	जी०डी० कायमी	प्रदर्श क–9,
10–	पंचायतनामा	प्रदर्श क–10,

8– न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया। पत्रावली अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में नियत की गयी।

9– दिनांक 08.09.2025 को अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया, जिसमें उन्होने अभियोजन कथानक को गलत बताते हुये अभियोजन साक्ष्य से इन्कार किया है तथा अभियुक्तगण ने कथन किया है कि ''गांव में प्रधानी की चुनाव को लेकर गुटबन्दी चलती है। इसी बात को लेकर राजनैतिक द्वेषवश झूठे मुकदमें में फंसा दिया गया है। मृतका के परिवार से सभी अभियुक्तगण काफी समय से पहले से अलग रहते थे, घटना के दिन वह लोग घर पर मौजूद नहीं थे। पूरा करने चले गये थे। घर आने पर पता चला कि मृतका खाना बनाते समय जल गयी थी। सभी अभियुक्तगण निर्दोष है। दोष मुक्त किया जाये। ''

10– मेरे द्वारा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्को को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया गया।

11– उपरोक्त आरोपों को साबित करने के क्रम में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षियों ने निम्नलिखित कथन किया है:–

12– अभियोजन द्वारा वादी मुकदमा सुरेन्द्र गुप्ता को पी०डब्लू–1 के रूप में परीक्षित कराया गया है, जिन्होने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि बयान देने से लगभग चार वर्ष से उपर हुआ। उसकी बहन राजकली की शादी बयान देने से लगभग 13 वर्ष पूर्व रमेश पुत्र उगन गुप्ता निवासी पिपरासी, कुशीनगर के साथ हुई थी। उसकी बहन अपने परिवार के साथ अपने भाईयों व मां–बाप से अलग रहते थे। घटना के दिन उनकी बहन के ससुर उगन ने मोबाइल फोन पर उसे बताये कि राजकली जल गयी है। जानकारी होने पर वह अपनी बहन के ससुराल पहुँचा तो देखा कि उसनकी बहन राजकली जली अवस्था में घर के अन्दर पड़ी हुई थी। उसने अपनी बहन के शव को देखा था। पूरा शरीर जला हुआ था। राजकली के शव का पंचायतनामा तहसीलदार साहब की उपस्थिति तथा उसके व अन्य गवाहान के मौजूदगी में तैयार किया गया। बाद तैयार करने पंचनामा राजकली के शव को कपड़े में सर्वमोहर कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। पंचायतनामा कागज संख्या–8 क 1 व 8 क 2 की इबारत को साक्षी ने तसदीक किया और हस्ताक्षर की पहचान की और कहा कि यह पंचायतनामा उनकी मौजूदगी में तैयार किया गया है। संलग्न पत्रावली कागज संख्या–4 क 2 मूल तहरीर पर बने अपने हस्ताक्षर की साक्षी ने पहचान किया जिसपर प्रदर्श क–1 डाला गया। मूल तहरीर की इबारत से साक्षी ने इन्कार किया और कहा कि घटना के संबंध में इस तरह की कोई

दरखास्त उसने थाना कुबेरस्थान पर नहीं दिया था। उसकी बहन की मृत्यु किस प्रकार के जलने से हुई थी, उसे मालूम नहीं। मूल तहरीर किसने लिखा उसे जानकारी नहीं है। मूल तहरीर पर पिपरासी गांव में दस्तखत बनाया था। जब दस्तखत बनाया तो कागज सादा था। घटना के संबंध में विवेचक ने उनका बयान नहीं लिया था।

13– अभियोजन की ओर से साक्षी रमेश गुप्ता को पी०डब्लू–2 के रूप में परीक्षित करवाया गया है, जिसने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "घटना बयान देने से लगभग साढ़े चार वर्ष से अधिक हुआ। वह उस समय घर पर नहीं था। वह ईट पाथने भट्ठे पर गया था। करीब 12.30 बजे दिन में भट्ठे पर उसके पिता उगन ने उसे मोबाइल पर बताया कि राजकली जल गयी है। इस सूचना पर वह घर आया तो देखा कि घर के बाहर पुलिस के लोग खड़े है। काफी भीड़ लगी थी। पूछने पर पता लगा कि कपड़े में आग लग जाने के कारण राजकली बचाने के लिये बरामदे में दिवार से टकराकर गिर गयी, आग बुझ नहीं पायी और जलने के कारण उसकी मृत्यु हो गयी। घर में उस समय उसकी पत्नी राजकली अकेली थी, घर के लोग भी उससे अलग रहते थे। उसके मां बाप बड़ा भाई अकेले और भाभी इन्द्रावती तथा भाई कमलेश खेत में काम करने गये थे। पड़ोस के लोगो ने सूचना दिया तब घर के लोग पहुँचे थे। देखे कि राजकली जली पड़ी है। पुलिस के लोगो व तहसीलदार साहब के मौजूदगी में तथा उसके व अन्य पंचान के मौजूदगी में उसके पत्नी राजकली का पंचनामा तैयार हुआ हौर राजकली के शव को पंचायतनामा कपड़े में सर्व मुहर किया गया। पंचायतनामा लिख पढ़कर सुनाकर उसके व अन्य पंचान के हस्ताक्षर पंचायतनामें पर पर बनवाये गये। उसके साले सुरेन्द्र गुप्ता को भी उसके पिता जी ने फोन करके बुलाया था। वह भी वहां मौजूद थे। बाद पंचयतनामा राजकली के शव को पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया। पंचायतनामा संलग्न पत्रावली कागज संख्या 8क1 व 8क2 है, जिसकी इबारत को शादी ने तसदीक किया तथा पंचायतनामा पर बने अपने हस्ताक्षर की पहचान किया, कहा कि वह पंचायतनामा उसकी मौजूदगी में तैयार किया गया है। उसकी पत्नी की मृत्यु दुर्घटना वश लगी आग से खाना बनाते समय जलने के कारण हुई थी। घटना के संबंध में विवेचक ने उसका बयान नहीं लिया था। पूछताछ नहीं किया था। घटना स्थल के संबंध में पूछताछ नहीं किया था।''

14– अभियोजन की ओर से साक्षी रीता को पी०डब्लू–3 के रूप में परीक्षित करवाया गया है, जिसने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "घटना हुये बयान देने से लगभग पाँच वर्ष हुआ। वह उस समय अपने मायके में थी। मायके से जब वापस आयी तो पता लगा कि एक सप्ताह पूर्व रमेश की पत्नी की मृत्यु हो गयी। रमेश की पत्नी राजकली की मृत्यु कैसे हुई उसे जानकारी नहीं है। घटना के संबंध में विवेचक ने उसका बयान नहीं लिया था। वह घटना के संबंध में कुछ नहीं जानती है।''

15– अभियोजन की ओर से पी०डब्ल–4 के रूप में साक्षी कमलावती उर्फ कमली को परीक्षित करवाया गया है, जिसने कथन किया है कि "बयान देने से लगभग पौने छः वर्ष हुये उसने सुना था कि उसके गांव के रमेश गुप्ता उगन की पत्नी राजकली थी कि राजकली की जलने से मृत्यु हो गयी है। राजकली कैसे जली उसे जानकारी नहीं है। वह उस समय घर पर नहीं थी। अपने मायके गयी थी। इसके अलावा उसे कोई जानकारी नहीं है। घटना के संबंध में विवेचक ने उससे पूछताछ नहीं किया था। बयान बयान नहीं लिया था।''

16– अभियोजन की ओर से साक्षी संजू देवी को पी०डब्लू–5 के रूप में परीक्षित करवाया गया है, जिसने अपने बयान में कथन किया है कि "घटना हुये बयान

देने से लगभग छः वर्ष से अधिक हुआ। गांव के लोगो को चर्चा करते हुये सुना था कि रमेश गुप्ता की पत्नी राजकली की मृत्यु हो गयी है। राजकली की मृत्यु कैसे हुई उसे जानकारी नहीं है। घटना के विषय में विवेचक ने पूछताछ नहीं किया था। बयान नहीं लिया था।''

17– अभियोजन की ओर से साक्षी डा० राजकुमार गुप्ता को पी०डब्लू–6 के रूप में परीक्षित करवाया गया है, जिसने अपने बयान में कथन किया है कि ''दिनांक 07.04.2012 को बहैसियत सर्जन सी०एस०सी० फाजिलनगर जिला कुशीनगर तैनात था, उस दिन डा० रमेश चन्द्रा चिकित्साधिकारी फाजिलनगर के साथ उनका पोस्टमार्टम हाउस कसया पर उनकी पोस्टमार्टम ड्यूटी थी। तत्कालीन नायब तहसीलदार पवन कुमार जायसवाल तहसील पडरौना सदर, जनपद कुशीनगर के द्वारा नौ संलग्न प्रपत्रों के साथ मृतका राजकली पत्नी रमेश गुप्ता, साकिन पिपरासी, थाना कुबेरस्थान, जिला कुशीनगर का शव कां० महेन्द्र सिंह व कां० जनार्दन यादव के माध्यम से उनके समक्ष पोस्टमार्टम हेतु समक्ष भेजा गया। उक्त राजकली के शव का पोस्टमार्टम दिनांक 07.04.2012 को पो०नं० 126/2012 को समय 3.30 PM पर किया गया। शव का शिनाख्त सम्बन्धित कां०गण द्वारा उन्हे करायी गयी। पोस्टमार्टम उनके द्वारा व डा० रमेश चन्द्रा संयुक्त रूप से किया गया। पोस्टमार्ट रिपोर्ट का विवरण निम्नवत हैः–

मृतका रजाकली की बउम्र लगभग 28 वर्ष की थी। मृतका औसद कद काठी की थी। बरवक्त पोस्टमार्टम मृतका दोनों आंखे बन्द थी, मुंह खुला हुआ था, जीभ बाहर निकली हुई थी, नाक के दोनो नथुनों से रक्त स्राव हुआ था। राइगर मार्टिस लोवर व अपर लिम्ब में मौजूद था। Pugilistic Attitude पूरे शरीर में मौजूद था। पूरा शरीर जला हुआ था, पैर के तलवे और दोनों हथिलियों को छोड़कर। बांया हाथ में प्लास्टर हुआ था। बाल झुलसे हुये थे। शरीर से किरोसीन आयल की दुर्गन्ध आ रही थी।

मृत्यु पूर्व चोटेंः–1– कन्ट्यूज्ड स्वेलिंग सिर के दाहिने भाग में 6 X 3 सेमी० कान से 5 सेमी० उपर हुआ था।

2– कन्ट्यूज्ड स्वेलिंग 12 X 5 सेमी० सिर के बांये हिस्से के Parieto Occipital रिजन पर था।

3– शरीर के 90 प्रतिशत हिस्से पर बर्न इन्जरी मौजूद था। लाइन आफ डिमार्केशन और लाइन आफ रेडनेस मौजूद था। मृतका के शरीर पर फर्स्ट डिग्री का बर्न पाया गया।

आन्तरिक परीक्षणः– Scalp and skull–Cotused, Facture of both Parietal Bones Present, Membranes–Contused, about 200 ML of blood present in cranial Cavity, Brain–Conused, Base of skull–Fracture present, Thorax–Walls Buran presnt, Heart–Wt, about 230 grams chambers–Empty, Abdoman–Teeth 16/15, Abdomen Walls–Burn present,

आमाशय एवं उसकी अर्न्तबस्तुये– अध पचा भोज्य पदार्थ था, छोटी आंत एवं उसकी अर्न्तबस्तुये– पचा हुआ भोज्य पदार्थ था, बड़ी आंत एवं उसकी अर्न्तबस्तुये–छोटी मात्रा में मल पदार्थ और गैसें मौजूद थी। यकृत एवं पित्ताशय– पित्ताशय आधा भरा हुआ था। तिल्ली–नार्मल था।, गुर्दा–नार्मल था।, उनकी राय में मृतका की मृत्यु बरवक्ता पोस्टमार्टम एक दिन पूर्व की हुई प्रतीत होती थी। उनकी राय में मृतका की मृत्यु, मृत्यु पूर्व आयी चोटों के कारण कोमा, हैमरेज और शाक से हुई थी।

बाद पोस्टमार्टम मृतका के शरीर से प्राप्त एक अदद पेटीकोट जला हुआ टूकड़ा, बाल का गुच्छा, टूटी हुई चुड़ियां कुल अदद, सर्व मोहन कर मृतका के शव व संलग्नक नौ प्रपत्रों के साथ सम्बन्धित कां० को सुपुर्द किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट संलग्न पत्रावली कागज संख्या–7 क बरवक्त पोस्टमार्टम उनके हस्तलेख और हस्ताक्षर में डाक्टर रमेश चन्द्रा की मौजूदगी में तैयार किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की इबारत को साक्षी ने पढ़कर तसदीक किया उसपर अपने हस्तलेख हस्ताक्षर तथा डा० रमेश चन्द्रा के हस्ताक्षर की साक्षी ने पहचान किया जिसपर प्रदर्श क–2 डाला गया।

18– अभियोजन की ओर से साक्षी प्रियंका गुप्ता को पी०डब्लू–7 के रूप में परीक्षित करवाया गया है, जिसने कथन किया है कि "उसकी मां राजकली देवी की मृत्यु बयान देने से करीब 8–9 साल हो गया है। उसकी मां जब जली थी वह घर पर नहीं थी। गांव के बसवारी की तरफ गयी थी। उसने किसी को आग लगाते हुये नहीं देखा था और न ही मां को जलते हुये देखा था। उसने मम्मी राजकली मरे हुये शव को देखा था। उसे जानकारी नहीं है कि जलने के पहले उसकी मां का झगड़ा घर में उसके बाबा–दादी या किसी से हुई थी कि नहीं। उसे यह भी जानकारी है कि उसकी मां किसी से परिवार में आहत थी की नहीं। उसे नहीं पता कि उसकी मां क्यो जली थी। घर में किसी सदस्य से घटना के पहले परिवार में किसी से मां का लड़ाई झगड़ा या बाता कहीं होते उसने नहीं देखी थी।''

19– अभियोजन की ओर से साक्षी प्रथम विवेचक सौदागर राय को पी०डब्लू–8 के रूप में परीक्षित करवाया गया है, जिसने अपने बयान में कथन किया है कि ''दिनांक 06.04.2012 को बतौर थानाध्यक्ष कुबेरस्थान पर नियुक्त था। वादी सुरेन्द्र गुप्ता पुत्र शिवराज गुप्ता, ग्राम महुअवा बुजुर्ग, थाना तुर्कपट्टी, जनपद कुशीनगर की लिखित तहरीर पर थाना कार्यालय पर मु०अप०सं०–186/2012 अंतर्गत धारा–302,147,34 भा०दं०सं० में पंजीकृत होकर हे०मु० बैजनाथ राय द्वारा जरिये नकल रपट कायमी मुकदमा व नकल चिक एफ०आई०आर० के मुकदमें की विवेचना हेतु उन्हे जरिये उपनिरीक्षक विजय शंकर पाण्डेय मय हमराह कां० महेन्द्र सिंह व जनार्दन यादव नकल चिक, नकल रपट व पंचायतनामा व अन्य दिगर कागजात के साथ घटना स्थल पर रवाना किया तथा उसे जिरये आर०टी० सेट/टेलीफोन के जरिये संसूचित किया। वह सूचना पाकर जिला मुख्यालय अपराध गोष्ठी से वह हमराहियान सीधे घटना स्थल पर पहुँचा, साथ में क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक एवं नायब तहसीलदार महोदय भी मौके पर आ गये। नायब तसहीलदार सदर के निर्देशन में उप निरीक्षण विजय शंकर पाण्डेय द्वारा पंचायतनामा की कार्यवाही मुरत्व की गयी तथा कां० महेन्द्र सिंह व जनार्दन यादव को लाश सुपुर्द कर पोस्टमार्टम हेतु रवाना किया। उसने मौके से विवेचना में मामूर होकर मौके घटना स्थल पर ही केस डायरी का पर्चा नं–1 दिनांक 06.04.2012 को ही तैयार किया जिसमें उसने नकल तहरीर, नकल रपट कायमी, मुकदमा पंचायतनामा की कार्यवाही का विवारण तथा मौका घटना स्थल से एक अदद पिपिया मिट्टी तेल एक अदद माचिस, व जली हुई मिट्टी तथा सादी मिट्टी को अलग–अलग डिब्बे में रखकर कपड़े से लिपटकर सीलबन्द कर सर्व मोहर उपस्थित गवाहान के समक्ष कब्जे में लिया। नमूना मोहर भी तैयार किया, फर्द भी तैयार किया। जिसपर उपस्थित गवाहान विरेन्द्र चौबे, मंतोष पाण्डेय ने अपना हस्ताक्षर बनाया। उसने भी हस्ताक्षर किया। फर्द का तस्करा केस डायरी में किया। मौके पर ही नक्शा नजरी घटना स्थल तैयार किया। नक्शा नजरी वादी मुकदमा व मृतका के पति के निशानदेही

पर तैयार किया तथा तस्करा केस डायरी किया। तत्पश्चात् आियुक्तगण के गिरफ्तारी के लिये प्रयास किया, दस्तयाब नहीं हुये। मुखबिर खास को निर्देशित किया तथा विवरण अंकित केस डायरी करते हुये पर्चा नम्बर–1 किता किया। पुनः दिनांक 08.04.2012 को मामले की विवेचना में मामूर हो केस डायरी का पर्चा नम्बर–2 जिसमें थाना कार्यालय से प्राप्त पी०एम० रिपोर्ट का अवलोकन किया। अवलोकन पंचायतनामा का विवरण अंकित केस डायरी तथा अभियुक्तगण के सुरागरसी तथा पतारसी की गयी तथा प्रयास गिरफ्तारी का विवरण अंकित करते हुये केस डयरी का विवरण अंकित करते हुये केस डायरी पर्चा नम्बर–2 किता किया। साक्षी को शामिल पत्रावली कागज संख्या–6 क फर्द दिखाया गया, जिसे देख पढ़कर साक्षी ने स्वयं के लेख हस्ताक्षर में होने की पहचान किया व उल्लेखित तथ्यों को तसदीक किया जिसपर प्रदर्श क–3 डाला गया। साक्षी को शामिल पत्रावली कागज संख्या–6 क/1 नक्शा नजरी दिखाया गया। देख पढ़कर लिखित तथ्यों को तसदीक करते हुये स्वयं के लेख में होने व अपने हस्ताक्षर की पहचान की, जिसपर प्रदर्श क–4 डाला गया।

पुनः अपने मुख्य परीक्षा में साथी ने कहा कि मामले में मौका घटना स्थल से एक अदद मिट्टी के तेल के गैलन एक अदद माचिस की डिब्बी तथा जली हुई राख मुकदमाती थाना कार्यालय से पैरवीकार द्वारा समक्ष न्यायालय लाया गया। न्यायालय की अनुमति से कपड़ा खोलकर साक्षी को दिखाया गया। साक्षी ने गैलन की पहचान की। जिसपर बस्तु प्रदर्श क–1 डाला गया। एक अदद माचिस ककी डिब्बी जिसमें थोड़ा हिस्सा जला हुआ जिसको साक्षी ने पहचान किया जिसपर बस्तु प्रदर्श क–2 डाला गया। दो अलग–अलग डिब्बे को कपड़े से लिपटे हुये है, साक्षी को खोलकर दिखाया गया तो साक्षी ने पहले डिब्बे में जली हुई सम्बन्धित डिब्बी की पहचान की, दूसरी डिब्बी में घटना स्थल से मिट्टी की पहचान पर बस्तु प्रदर्श क–3 व 4 डाला गया।

20– <u>अभियोजन की ओर से साक्षी सत्येन्द्र कुमार को पी०डब्लू–9 के रूप में परीक्षित करवाया गया है, जिसने अपने बयान में कथन किया है कि</u> मु०अप०सं०–186/2012 की विवेचना मेरे पूर्व थानाध्यक्ष रहे सौदागार राय द्वारा की जा रही थी। उनके स्थानान्तरण के दौरान में बतौर थानाध्यक्ष थाना कुबेरस्थान का प्रभार किया तथा पूर्व विवेचना शुदा केस डायरी पर्चेजात एवं संलग्न प्रपत्रों से इस मामले की विवेचना उसने ग्रहण किया। दिनांक 15.04.2012 को इस मामले की विवेचना में पर्चा नम्बर–3 किता किया जिसमें विवेचना ग्रहण करने के लिये तथा पूर्व किता पर्चा नम्बर 1 ता पर्चा नम्बर–2 का अवलोकन तथा पंचायतनामा व पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा तस्करा किया। पुनः दिनांक 15.04.2012 को पुनः विवेचना में मामूर होकर पर्चा नम्बर–3A किता किया जिसमें वादी का बयान सुरेन्द्र गुप्ता पुत्र शिवलाल का बयान अंकित किया तथा मृतका के पति रमेश गुप्ता पुत्र उगन गुप्ता का बयान अंकित किया। पुनः दिनांक 16.04.2012 को विवेचना में मामूर होकर पर्चा नम्बर–4 किता किया जिसमें बयान गवाह श्रीमती रीता पत्नी मैनेजर का बयान अंकित किया। तत्पश्चात् गवाह श्रीमती कलावती देवी पत्नी जानकी मद्धेशिया, श्रीमती सकू देवी पत्नी हरी गौड़, सुगान्ती देवी पत्नी मोती गुप्ता का बयान अंकित किया गया। पुनः दिनांक 17.04.2012 को मामले में मामूर होकर पर्चा नम्बर–5 किता किया जिसमें उसने साक्षी भमीन्धर गुप्ता पुत्र अर्जुन गुप्ता, बृजलाल गुप्ता पुत्र जानकी गुप्ता बरई गुप्ता पुत्र कोदई गुप्ता का बयान अंकित किया। पुनः दिनांक 17.04.2012 को केस डायरी पर्चा नम्बर–5A किता किया जिसमें उसने मृतका राजकली के शव का पोस्टमार्टम करने वाले

डा० राजकुमार गुप्ता का बयान अंकित किया। अग तक की तमामी विवेचना से गवाहों के बयानात एवं प्रपत्रों के आधार पर मामले में धारा–302,147,302/34 भा०दं०सं० का अपराध के स्थान पर धारा–306 भा०दं०सं० का अपराध घटित होना पाया गया। तदुपरान्त उल्लेख करते हुये मामला 306 श्राा०दं०सं० के अंतर्गत अग्रसारित किया तथा पुनः दिनांक 18.04.2012 को मामले की विवेचना में पर्चा नम्बर–6 किता किया गया जिसमें उसने अभियुक्तगण उगन पुत्र कोदई, मुन्देश्वरी पत्नी उगन, अकलू पुत्र उगन तथा इन्द्रावती पत्नी अकलू की गिरफ्तारी नियमानुसार की गयी। तत्पश्चात् बयान अभियुक्त उगन, मुक्तेश्वरी, अकलू, इन्द्रावती का बयान अंकित किया तथा अभियुक्तगण को थाना कार्यालय अन्दर हवालात दाखिल किया। तपश्चात् रिमाण्ड हेतु न्यायालय दाखिल किया जिसका विवरण केस डायरी पर्चा नं०–6A को किता किया। पुनः दिनांक 25.04.12 को मामले की विवेचना में मामूर होकर पर्चा नं०–7 किता किया जिसमें बयान मृतका की लड़की प्रियंका पुत्र रमेश का बयान अंकित किया। अब तक की तमामी विवेचना से अभियुक्तगण उगन पुत्र कोदई, मातेश्वरी पत्नी उगर, अकलू पुत्र उगन, इन्द्रावती पत्नी अकलू, साकिनान पिपरासी, थाना कुबेरस्थान, जनपद कुशीनगर के विरूद्ध अपराध धारा–306 भा०दं०सं० का पाते हुये आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया, आरोप पत्र संख्या–71/2012 तैयार कर उल्लेख केस डायरी करते हुये जरिये विवेचना सहित सभी प्रपत्रों चालान न्यायालय प्रेषित किया। साक्षी को शामिल पत्रावली कागज संख्या–9 क 3 जी०डी० रपट नम्बर–34 कार्बन नकल साक्षी को दिखाया गया, जिसे देख पढ़कर स्वयं के लेख हस्ताक्षर में होने बनवाने दाया नकल होने की साक्षी ने पहचान किया जिसपर प्रदर्श क–5 डाला गया। साक्षी को शामिल पत्रावली कागज संख्या–10 क गिरफ्तारी मेमो दिखाया गया। उल्लिखित तथ्यों को देखकर साक्षी ने स्वयं के हस्ताक्षर में होने की पचान किया जिसपर प्रदर्श क–6 डाला गया। साक्षी को शामिल पत्रावली कागज संख्या–3 क 1 आरोप पत्र दिखाया गया, उल्लिखित तथ्यों को तसदीक करते हुये स्वयं के लेख व हस्ताक्षर में होने की पहचान किया जिसपर प्रदर्श क–7 डाला गया। इस केस में उनके साथ तैना रहे हे०मु० बैजनाथ रामज ने चिक किता व रपट मुकदमा किया था। उनके साथ भी बगैर हे०मु० रहे थे, उन्हे लिखते पढ़ते हस्ताक्षर बनाते हुये अक्सर देखा था। उनके लेख व हस्ताक्षर को भंली भांति पहचान सकता है। वर्तमान में उनकी जानकारी वह सेवानिबृत्त होकर काफी अस्वथ रहने वाले है। साक्षी को शामिल पत्रावली कागज संख्या–5 क 1 चिक एफ०आई०आर० दिखाया गया, तत्कालीन हे०मु० बैजनाथ राव के लेख व हस्ताक्षर में होने की साक्षी ने पहचान किया जिसपर प्रदर्श क–8 डाला गया। साक्षी को शामिल पत्रावली कागज संख्या–9 क 2 जी०डी० कायमी नकल कार्बन प्रति दिखाया गया, तत्कालीन हे०मु० बैजनाथ राम के लेख की कार्बन छाया प्रति में होने की साक्षी ने पहचान किया जिस पर प्रदर्शक –9 डाला गया।

21– <u>बचाव पक्ष की ओर से अपने कथन के समर्थन में साक्षी सुरेश पासवान को डी०डब्लू–1 के रूप में परीक्षित करवाया गया है, जिसने सशपथ बयान में कथन किया है कि</u> घटना बयान देने से लगभग 13 वर्ष पूर्व की है। समय लगभग दोपहर 11.30 या 12.00 बजे की है। उस दिन पूर्णवासी का दिन था और दिन शुक्रवार था। उगन उसके गांव के है। <u>उगन की पतोहू रमेश की पत्नी का खाना बनाते समय जल जाने की शोर गुल सुनकर वह भी उनके घर आया तो पता चला कि जिस समय घटना घटी थी उस समय उनके पति रमेश मजदूरी करने घर से ईट–भट्ठे पर चले गये थे और अलग रहकर अपना भरण पोषण कर रहे थे। उनके पिता उगन माता मातेश्वर, बड़े भाई अकलू</u>

और अकलू की पत्नी इन्द्रावती ये सभी लोग घर पर मौजूद नहीं थे, यह लोग गृहस्थी कार्य से खेत में गये थे। वह जब गया तो यह जानकारी हुई कि आग पकड़ लेने के बाद वह घर में अकेली रहने के कारण जल गयी थी। मौके पर कोई घर का आदमी मौजूद होता तो यह दुर्घटना नहीं होती, रमेश अपने पिता एवं भाई से घटना से पूर्व से अलग रहकर अपना भरण पोषण करता था। रमेश की पत्नी का अपनी माता पिता भौजाई से कोई बात विवाद नहीं था। न ही गांव के लोग या उसके द्वारा कभी कोई विवाद हाते देखा ही नहीं था। मृतका राजकली को घटना के समय दो बेटे और एक लड़की थी। मृतका के बच्चे अपने दादा दादी के पास आते जाते मिलते जुलते थे। उसके मौके पर पहुँचने से पूर्व गांव के बहुत लोग घटना स्थल या उगन के घर मौजूद थे। सभी लोगो के द्वारा इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि खाना बनाते समय कपड़े में आग पकड़ लेने और घर किसी की मौजूदगी न होने के कारण रमेश की औरत जल गयी। गांव के लोग उनलोगो के साथ उसने घटना स्थल पर जाकर देखा तो वहां पर मिट्टी का तेल/बोतल/शीशी माचिस की तिल्लियां आदि बिखरे लोगो के द्वारा यह बतायी गयी मिट्टी का तेल खाना बनाते वाली जगह पर मौजूद था और शीशी लुढ़कने के कारण आग तेजी से शरीर में पकड़ लिया। रमेश तीन भाई है, जिसमें दो भाई आज भी माता पिता के साथ रहते है। जिसमें अकले व अखिलेश आज भी अपने माता पिता के साथ है।

22– बचाव साक्षी डी०डब्लू–2 धीरज चौबे ने ने अपने बयान में कथन किया है कि घटना हुये लगभग बयान देने से 13 साल हो गया। उगन के तीन लड़के है। जिसमें अखिलेश और अकलू माता पिता के साथ रहते थे और रमेश अपने माता पिता से अलग रहते थे। रमेश के एक लड़की, दो लड़के अपने बाबा, दादी के पास आते जाते रहते थे। रमेश अपनी शादी के बाद अपनी पत्नी राजकली और बच्चो के साथ घटना के समय अपने माता पिता से अलग रहते थे। घटना 11.30 बजे सुबह की थी। उस वक्त मृतका के पति मजदूरी के सिलसिले में सुबह घर से चले गये थे। उगन, अकलू, मातेश्वरी और इन्द्रावती, पूजा पाठ करने के बाद घर गृहस्थी हेतु खेत में चले गये थे। उस दिन बुद्ध पूर्णिमा का दिन था। घटना की शोर सुनकर सब लोग वहां गये थे और वह भी घटना स्थल पर गया था तो देखा गया कि खाना बनाते समय मिट्टी के तेल जली शीशी के लुढ़कने के कारण आग तेजी से फैल गया और मृतका राजकली के कपड़े में पकड़ लिया। चूँकि उस वक्त घर पर कोई कोई सदस्य मौजूद नहीं था। यदि कोई घर का सदस्य मौजूद रहता तो आग बुझाने में मदद करता और मृतका नहीं जल पाती। तथाकथित घटना के पूर्व रमेश या उनकी पत्नी मृतका राजकली से उनके माता पिता या जेठ–जेठानी से वाद विवाद या झगड़ा नहीं हुआ था। घटना स्थल पर देखा गया तो जलती हुई खाना बनाने वाली लकड़ी मिट्टी के तेल की शीशी माचिस की डिबियां वर्तन आदि विखरे पड़े थे। मृतका राजकली अपने पति रमेश के साथ शादी के बाद से ही अलग रहकर अपना भरण पोषण करती थी, कभी भी उगल, अकलू, मातेश्वर, बिन्द्रावती इन लोगो के द्वारा राजकली के द्वारा कभी भी कोई वाद विवाद नहीं हुआ था।

23– विद्वान सहयक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया है कि अभियुक्तगण ने मृतका राजकली की हत्या कर दी थी और मृतका घर में ही मरी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोटें आना अंकित है। प्रथम सूचना शीघ्राति शीघ्र पंजीकृत कराया गया है और तत्काल विवेचना आरम्भ की गयी है। अभियुक्तगण को मौके से ही गिरफ्तार किया गया है। अभियोजन साक्षी ने घटना का समर्थन किया है। यद्यपि उनके द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि साक्षी को धारा–

161 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अंकित बयानों से मुकर कर गये है। फिर भी अभियुक्तगण को दोष सिद्ध किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य है। अभियुक्तगण को दोष सिद्ध किया जाय।

24– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया है कि वादी मुकदमा व अभियुक्तगण सगे पट्टीदार है और गांव की राजनैतिक रंजिश के कारण उन्हे झूठा फंसाया गया है। मात्र संदेह के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराया गया है। घटना का कोई चछुदर्शी साक्षी नहीं है और न ही अभियोजन द्वारा घटना को साबित किया गया है। समस्त साखी पक्षद्रोही हो गये उन्होने घटना का पूर्णतः संदिग्ध बताया है। अभियुक्तगण द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है वे पूर्णतया निर्दोष है, उन्हे दोष मुक्त किया जाय।

<u>अभियोजन तथा बचाव पक्ष के साक्ष्य का मूल्यांकन व निष्कर्ष</u>

25– अभियुक्तगण पर धारा–306 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आरोप है।

धारा–306 भारतीय दण्ड संहिता के अनुसारः–यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करें, तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की जो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

अभियोजन को निम्नलिखित आवश्यक तत्वों को साबित करना होता हैः–

(Ii) यह कि किसी व्यक्ति द्वारा आत्महत्या कारित की गयी,

(ii) यह कि अभियुक्त ने आत्महत्या कारित किये जाने का दुष्प्रेरण किया।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 06.04.2012 को समय 11.30 बजे पंजीकृत कराया गया है। घटना दिनांक 06.04.2012 समय 1.30 बजे का बताया गया है। घटना स्थल से सम्बन्धित थाने की दूरी सात किलोमीटर दूर है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–8 वादी सुरेन्द्र गुप्ता पुत्र शिवराज द्वारा सम्बन्धित थाने पर दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 06.04.2012 प्रदर्श क–1 के आधार पर पंजीकृत करायी गयी है। जिसमें उगन पुत्र कोदई, मोतेश्वर पत्नी उगर, अकलू पुत्र उगन, इन्द्रावती पत्नी अकलू, व अकलेश पुत्र उगन को अभियुक्तगण के रूप में नामजद करते हुये दिया गया है तथा मु०अप०सं०–186/2012 अंतर्गत धारा–147, 302/34 भा०दं०सं० में पंजीकृत किया गया।

अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा सुरेन्द्र गुप्ता पुत्र शिवराज थाना कुबेरस्थान पर इस आशय का दिया गया है कि "प्रार्थी सुरेन्द्र गुप्ता पुत्र शिवराज गुप्ता, ग्राम महुअवाँ बुजुर्ग, थाना तुर्कपट्टी, जनपद कुशीनगर का निवासी है। उसकी बहन की शादी लगभग 9 वर्ष पूर्व उगन गुप्ता पुत्र कोदई के लड़के रमेश गुप्ता से हुई थी, जो ग्राम पिपराजी थाना कुबेरस्थान, जनपद कुशीनगर का निवासी है। रमेश गुप्ता अपने भाई व माता पिता से अलग रहते थे और मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते है। दिनांक 09.01.2012 को उगन गुप्ता पुत्र कोदई, मोतेश्वरी पत्नी उगन व अकलू पुत्र उगन, इन्द्रावती पत्नी अकलू व अकलेश पुत्र उगन द्वारा उसकी बहन को मारकर हाथ तोड़ दिये थे, जो स्थानीय थाने में मुकदमा पंजीकृत है। जिसके चलते बहन व बहनोई को जान से मारने की धमकी देते थे। दिनांक 06.04.2012 को रमेश गुप्ता जो उसके बहनोई है मजदूरी करने हेतु चले जाने के बाद लगभग 11.30 बजे घर में अकेला पाकर उसकी बहन को (राजकली पत्नी रमेश गुप्ता) मारपीटकर व मिट्टी का तेल डालकर उगन पुत्र कोदई, मोतेश्वर पत्नी उगर, अकलू पुत्र उगन, इन्द्रावती पत्नी अकलू व अखिलेश पुत्र

उगर ग्राम पिपरासी थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर द्वारा जलाकर मार दिये तथा घर छोड़कर सभी व्यक्ति फरार हो गये। उसके बहनोई रमेश गुप्ता किसी के द्वारा सूचना पाकर घर आया तो देखा कि उसकी पत्नी राजकली नग्न अवस्था में जली मरी पड़ी थी। चिल्लाने पर शोर करने पर ग्राम के लोग इकट्ठा हुये तथा उसे रमेश गुप्ता द्वारा दूरभाष पर सूचित किया कि उसकी पत्नी को जलाकर डसके घर वाले मार डाले है। वह तुरन्त वहां पहुँचा तो देखा कि उसकी बहन की लाश पड़ी थी।''

मृतका राजकली के शव का पंचनामा दिनांक 06.04.2012 को समय 13.00 बजे सम्पादित हुआ तथा पंच के रूप में रमेश गुप्ता, प्रदीप चौबे, बीरबल, यासीन व सुरेन्द्र गुप्ता को नियुक्त किया गया। पंचो की राय के अनुसार मृतका का पूरा शरीर जला हुआ था कोई जाहिरा चोट नहीं पाया गया। पंचगण की राय के अनुसार की मृतका की मृतका की मृत्यु जलने के कारण होना बताया गया है, वास्तविक कारण जानने के लिये पोस्टमार्टम कराने की सलाह दी गयी है। पंचनामा पत्रावली पर प्रदर्श क–10 के रूप में है।

मृतका के शव का पोस्टमार्टम दिनांक 07.04.2012 को समय 3.30 पर डा० आर०के० गुप्ता द्वारा किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पत्रावली पर प्रदर्श क–2 है। मृतका के शरीर पर कतिपय चोटें कन्टूजन का पाया गया। घटना स्थल से एक अदद पिपिया मिट्टी के तेल का, एक अदद माचिस व डिब्बी जली हुई। मिट्टी व एक डिब्बी में सादी मिट्टी को एकत्र किया गया। फर्द दिनांक 06.04.2012 को तैयार किया जो पत्रावली पर प्रदर्श क–3 के रूप में संलग्न है। नक्शा नजरी दिनांक 06.04.1022 को तैयार किया गया है। नक्शा नजरी में A अक्षर से वह स्थान दर्शाया गया है जहां मृतका का शव जला हुआ पड़ा है। B अक्षर से वह स्थान/कमरा है जिसमें जलने के निशान आदि है। जो पत्रावली पर प्रदर्श क–4 के रूप में है। अभियुक्तगण को दिनांक 18.04.2012 को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी मेमो प्रदर्श क– 6 है। पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर विवेचक द्वारा अभियुक्तगण उगन पुत्र कोदई, मोतेश्वरी पत्नी उगन, अकलू पुत्र उगन व इन्द्रावती पत्नी अकलू के विरूद्ध धारा–306 भा०दं०सं० में प्रस्तुत किया गया है। आरोप पत्र पत्रावली पर प्रदर्श क–7 है, विवेचक द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रेषित आरोप पत्र को विचारण की याचना की है।

स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 मृतका राजकली के भाई सुरेन्द्र गुप्ता द्वारा प्रस्तुत की गयी थी जो ग्राम महुअवाँ बुजुर्ग, थाना तुर्कपट्टी, कुशीनगर के निवासी है। उन्हे अभियोजन द्वारा पी०डब्लू–1 के रूप में परीक्षित कराया गया है। साक्षी पी०डब्लू–1 सुरेन्द्र गुप्ता ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि बयान देने से लगभग चार वर्ष से उपर हुआ। उसकी बहन राजकली की शादी बयान देने से लगभग 13 वर्ष पूर्व रमेश पुत्र उगन गुप्ता निवासी पिपरासी, कुशीनगर के साथ हुई थी। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य है कि साक्षी का बयान दिनांक 18.07.2016 को अंकित कराया गया है। साक्षी ने अग्रेतर कहा है कि <u>उसकी बहन अपने परिवार के साथ अपने भाईयों व मां–बाप से अलग रहती थी</u>। घटना के दिन उनकी बहन के ससुर उगन ने मोबाइल फोन पर उसे बताये कि राजली जल गयी है। जानकारी होने पर वह अपनी बहन के ससुराल पहुँचा तो देखा कि उसकी बहन राजकली जली अवस्था में घर के अन्दर पड़ी हुई थी। उसने अपनी बहन के शव को देखा था। पूरा शरीर जल हुआ था। राजकली के शव का पंचायतनामा तहसीलदार साहब की उपस्थिति तथा उसके व अन्य गवाहान के मौजूदगी में तैयार किया गया। बाद तैयार करने पंचनामा राजकली के शव को कपड़े में

सर्वमोहर कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। पंचायतनामा कागज संख्या–8 क 1 व 8 क 2 की इबारत को साक्षी ने तसदीक किया और हस्ताक्षर की पहचान की और कहा कि यह पंचायतनामा उनकी मौजूदगी में तैयार किया गया है। संलग्न पत्रावली कागज संख्या–4 क 2 मूल तहरीर पर बने अपने हस्ताक्षर की साक्षी ने पहचान किया जिसपर प्रदर्श क–1 डाला गया। मूल तहरीर की इबारत से साक्षी ने इन्कार किया और कहा कि घटना के संबंध में इस तरह की कोई दरखास्त उसने थाना कुबेरस्थान पर नहीं दिया था। उसकी बहन की मृत्यु किस प्रकार के जलने से हुई थी, उसे मालूम नहीं। मूल तहरीर किसने लिखा उसे जानकारी नहीं है। मूल तहरीर पर पिपरासी गांव में दस्तखत बनाया था। जब दस्तखत बनाया तो कागज सादा था। घटना के संबंध में विवेचक ने उनका बयान नहीं लिया था। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है और उससे प्रतिपरीक्षा की गयी है। प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कहा है कि वह घटना के दिन थाना कुबेरस्थान पर दरखास्त देने नहीं गया था। उगन ने घटना की सूचना उसे दस बजे सुबह दिया था। वह उसी दिन दोहपर बारह बजे बहन के ससुराल पहुँच गया था। उसकी बहन की लाश उसके कमरे में जमीन पर पड़ी हुई थी। उसकी बहन राजकली का पूरा शरीर जला हुआ था। कमरे में पड़े बिस्तु पर गद्दा का कुछ हिस्सा जला हुआ था। कमरे में एक दो कपड़े जले हुये थे। कमरे में धुआ जमा था लेकिन कमरा जला नहीं था। मिट्टी की तेल की दुर्गन्ध आ रहा था। कमरे की पर्श पक्की नहीं थी, मिट्टी की है। उसने घटना के लगभग दो साल पहले सुना था कि रमेश व राजकली से झगड़ा होता था। रमेश घटना के समय सेवरही ईट–भट्टा पर काम करते थे। उसकी बहन राजकली के ससुराल में रमेश, उगन, सास मोतेश्वरी, देवर अकलू व देवरानी इन्द्रावती रहती थी। घटना के लगभग दो साल पहले उनकी बहन राजकली अपने सास, ससुर, देवर, देवरानी की घर जमीन के बंटवारे की शिकायत उससे करती थी। उसके बहन व उसका पति मकान के अपने हिस्से में बनवा लिये। वे अलग रहते थे। जब वह घटना स्थल पर पहुँचा तो उसके बहनोई रमेश मौके पर मौजूद नहीं थे। लगभग तीन–चार घंटे बाद ईट के भट्ठे से लौटकर आये थे। जब घटना स्थल पर पहुँचा था तो मौके पर उसके बहन के सास, ससुर, देवर, देवरानी मौजूद थे। उसके पूछने पर उगन ने कहा कि रमेश खाना खाकर काम पर चले गये थे। उसके कुछ देर बाद राजकली अपनी कमरे में जल गयी थी। तब उन्होने उगन ने इस बात की सूचना दी। साक्षी ने कहा कि उसने विवेचक को यह बयान नहीं दिया था कि ''दिनांक 09.01.2012 को उगन गुप्ता, मोतेश्वरी, अकलू, इन्द्रावती, अखिलेश ने उसके बहन को मारा पीटा था। उसका एक हाथ टूट गया था। उसके बहनोई रमेश गुप्ता के थाने पर जाकर धारा–325 भा०दं०सं० का मुकदमा कराये थे। तभी से उगन, अकलू, अखिलेश मोतेश्वर देवी, इन्द्रावती उसकी बहन बहनोई को हमेशा परेशान करते रहते थे। कहते थे कि उनलोगो को जान से खत्म कर देगें।'' साक्षी ने विवेचक को यह भी बयान नहीं दिया गया है कि ''दिनांक 06.04.2012 को जब उसके बहनोई मजदूरी करने लगे गये तो उसकी बहन को अकेला पाकर उपरोक्त चारों लोगो ने मारा पीटा व मिट्टी का तेल गिराकर जला मार दिये... ... ... .उसने थाने पर तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत करवाया था। अभियुक्तगण उसी समय से घर पर ताला बन्द कर कहीं भाग गये थे।'' धारा–161 दं०प्र०सं० का बयान सुनकर साक्षी ने इन्कार किया और कहा कि विवेचना ने कैसे लिख लिया नहीं बता सकता। आगे साक्षी ने कहा कि यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण ने उसकी बहन राजकली को घटना के दिन मार पीटकर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया हो। यह भी कहना गलत है कि घटना की सूचना उसने बोलकर

लिखवाकर कुबेरस्थान थाने पर अभियुक्तगण के विरूद्ध दर्ज कराया हो। यह भी कहना गलत है कि अभियुक्त के साजिश व प्रभाव में आकर मुकदमें से बचने के लिये झूठी गवाही दे रहा हूँ। साक्षी से बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कहा है कि जिस समय प्रदर्श क–1 पर हस्ताक्षर बनाया, कागज सादा था। घटना स्थल पर पहुँचा तो 40–50 की भीड़ थी, उसी में से किसी ने उसका हस्ताक्षर ले लिया था। वह घटना स्थल पर दो–तीन घंटा तक था। पंचनामा पर भी जब दस्तखत बनाया था वह सादा था। जिस समय हस्ताक्षर बनाया उस समय रमेश गुप्ता, सुरेन्द्र, यासीन, बीरबल पासवान उनके पास नहीं थे। उसने नायब तहसीलदार को पहचानता नहीं था। उनको उसने देखा भी नहीं था। किसी ने बताया नहीं था कि तहसीलदार साहब है। उसकी बहन का घर मुल्जिमान उगन, मातेश्वरी, अकलू, इन्द्रावती, अखिलेश से अलग था। रमेश व उसकी बहन इनलोगो से अलग मकान में रहते थे और अलग खाना पीना करते थे। राजकली व मुल्जिमान से वाद विवाद दो साल पहले से था लेकिन घटना के समय नहीं था। वह विवाद हिस्सा के बावत था। इसके अलावा कोई विवाद नहीं था। उगन से उसका हिस्सो दि देया व झगड़ा समाप्त हो गया था। उसके जाने पर किसी ने कोई बात नहीं हुआ था। जब मौके पर पहुँचा तो पुलिस आ गयी थी। उसकी बहन राजकली चिड़चिड़ी थी। थोड़ी–थोड़ी बात पर उग्र हो जाती थी। उसके शरीर पर कोई चोट नहीं देखा था। वह नहीं जानता कि रमेश व मुल्जिमान के बीच कोई फौजदारी वाद चल रहा है। घर के अन्दर लाश जली हुई पड़ी थी और सामान जले हुये थे। मुल्जिमान से उसकी कोई बातचीत नहीं हुई। उसकी बहन अपने को क्यो जला दिया कारण नहीं बता सकता। न्यायालय द्वारा भी इस साक्षी से जिरह की गयी। जिरह में साक्षी ने कहा कि जब वह पहुँचा था तो उसकी बहन के तीनों बच्चे स्कूल गये थे। बच्चे स्कूल से दो बजे वापस आये थे। बच्चो से उसकी कोई बात नहीं हुई थी। बच्चो को उसी दिन उसके घर वाले तुर्कपट्टी महुअवां लेकर चले आये। उसे मालूम नहीं कि पुलिस के बच्चो से पूछताछ की या नहीं वह घर पर काम ही रहता है। नौकरी करता हूँ। उपरोक्त साक्षी के बयानों से यह स्पष्ट है कि वह मृतका का सगा भाई है और दूसरे गांव व थाना क्षेत्र का निवासी है। घटना के संबंध में साक्षी ने स्पष्ट रूप कहा है कि उगन द्वारा सूचना दी गयी जबकि तहरीर में रमेश द्वारा सूचना देने की बात कहीं है। साक्षी ने तहरीर के संबंध में कहा है कि वह केवल हस्ताक्षर बनाया था उसके तथ्य से साफ तौर से इन्कार किया। उसे यह भी जानकारी नहीं है कि उसकी बहन कैसे मरी। जहाँ तक थाने पर दरख़ास्त देने का प्रश्न है और विवेचक को बयान देने से भी स्पष्ट रूप से इन्कार किया है। घटना के समय मृतका राजकली अभियुक्तगण से से अलग रहती थी। खाना पीना अलग बनता था। प्रार्थना पत्र थाने पर देने से साफ इन्कार किया है। जब वह घटना स्थल पहुँचा तो लाश जमीन पर पड़ी थी। मिट्टी के तेल की दुर्गन्ध आ रही थी। घटना के दो साल पहले पति–पत्नी में झगड़े होते थे। रमेश अपनी पत्नी के साथ अन्य सदस्यों से अलग रहता था। घटना के दो साल पहले मृतका ने विवादों की शिकायत किया था। जिस समय घटना घटित हुई उस समय घटना स्थल पर नहीं था। अभियुक्तगण मौके पर मौजूद थे। धारा–161 दं०प्र०सं० के बयानों से साक्षी ने साफ तौर पर इन्कार किया है उसने इस बात को गलत बताया है कि मिट्टी का तेल गिराकर उसकी बहन को जला दिये थे जिसकी सूचना थाने पर दिया है। प्रदर्श क–1 के संबंध में कहा कि सादा था। पंचनामा के समय भी कागज सादा था। अन्य पंच वहाँ मौजूद थे। घटना के संबंध में अभियुक्तगण से कोई विवाद मृतका का समाप्त हो गया था। मृतका चिड़चिड़ी स्वभाव की थी। मृतका व अभियुक्तगण के बीच विवाद चल

रहा था, इस प्रकार का कोई साक्ष्य साक्षी ने नहीं दिया है। घटना की सूचना थाने पर नहीं दिया है जबकि तहरीर पर इसके हस्ताक्षर है। अभियुक्तगण द्वारा मृतका को जलाये जाने से इन्कार किया है। घटना का कोई चक्षुदर्शी नहीं है। इसलिये थाने पर दी गयी तहरीर उसके व्यक्तिगत जानकारी में नहीं थी। इस प्रकार साक्षी द्वारा सशपथ बयान अभियोजन कथानक के विपरीत है जिससे अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं होता है। साक्षी के बयानों से मृतका को उत्प्रेरित करना साबित नहीं होता है।

अभियोजन की ओर से साक्षी रमेश गुप्ता को पी०डब्लू–2 के रूप में परीक्षित करवाया गया है, जिसने सशपथ बयान में किया है कि "घटना बयान देने से लगभग साढ़े चार वर्ष से अधिक हुआ। वह उस समय घर पर नहीं था। वह ईट पाथने भट्ठे पर गया था। करीब 12.30 बजे दिन में भट्ठे पर उसके पिता उगन ने उसे मोबाइल पर बताया कि रामकली जल गयी है। इस सूचना पर वह घर आया तो देखा कि घर के बाहर पुलिस के लोग खड़े है। काफी भीड़ लगी थी। पूछने पर पता लगा कि कपड़े में आग लग जाने के कारण राजकली बचाने के लिये बरामदे में दिवार से टकराकर गिर गयी, आग बुझ नहीं पायी और जलने के कारण उसकी मृत्यु हो गयी। घर में उस समय उसकी पत्नी राजकली अकेली थी, घर के लोग भी उससे अलग रहते थे। उसके मां बाप बड़ा भाई अकले और भभी इन्द्रावती तथा भाई कमलेश खेत में काम करने गये थे। पड़ोस के लोगो ने सूचना दिया तब घर के लोग पहुँचे थे। देखे कि राजकली जली पड़ी है। पुलिस के लोगो व तहसीलदार साहब के मौजूदगी में तथा उसके व अन्य पंचान के मौजूदगी में उसके पत्नी राजकली का पंचनामा तैयार हुआ हौर राजकली के शव को पंचायतनामा कपड़े में सर्व मुहर किया गया। पंचायतनामा लिख पढ़कर सुनाकर उसके व अन्य पंचान के हस्ताक्षर पंचायतनामें पर पर बनवाये गये। उसके साले सुरेन्द्र गुप्ता को भी उसके पिता जी ने फोन करके बुलाया था। वह भी वहां मौजूद थे। बाद पंचयतनामा राजकली के शव को पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया। पंचायतनामा संलग्न पत्रावली कागज संख्या 8क1 व 8क2 है, जिसकी इबारत को शादी ने तसदीक किया तथा पंचायतनामा पर बने अपने हस्ताक्षर की पहचान किया, कहा कि वह पंचायतनामा उसकी मौजूदगी में तैयार किया गया है। उसकी पत्नी की मृत्यु दुर्घटना बस लगी आग से खाना बनाते समय जलने के कारण हुई थी। घटना के संबंध में विवेचक ने उसका बयान नहीं लिया था। पूछताछ नहीं किया था। घटना स्थल के संबंध में पूछताछ नहीं किया था।'' उक्त साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है और प्रतिपरीक्षा की गयी है। प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कहा कि पुलिस सूचना हाजिर अदालत आया है। उसकी शादी घटना से लगभग दस–ग्यारह वर्ष पूर्व हुई थी। घटना के समय वह लोग अलग–अलग रहते थे। उसका खाना घटना के पूर्व से तथा बड़े भाई का चूल्हा चौका अलग हो गया था। उसके माता पिता छोटे भाई के साथ रहते थे और उनलोगो का चूल्हा चौका अलग था। साक्षी ने कहा है कि उसने विवेचक को यह बयान नहीं दिया था। ''दिनांक 06.04.2012 को उसके बड़े भाई अकलू उनकी पत्नी इन्द्रावती उसकी मां मातेश्वरी देवी सात बजे सुबह के करीब काली स्थान पर पूजा करने गये थे तथा वे लोग करीब नौ बजे वापस आ गये ... ...तो वह साइकिल से काल कटवाने बालखण्डी चौराहे पर पर चला गया। जब वह वापस 12.30 बजे के करीब घर वापस आया तो देखा कि उसकी माता पिता भाई अकलू और अखिलेश्वर तथा भाभी इन्द्रावती आपस में घर में सलह कर रहे थे।'' साक्षी ने यह भी कहा है कि ''वह अपने घर में जाने हेतु गलियारे की सिटकनी ... ... खोलकर अन्दर गया तो देखा कि गलियारे में उसकी पत्नी जली अवस्था में मरी पड़ी

है... ... ...घर वालो से उसने पूछता तो वे सब कुछ नहीं बताये तथा अपने घर पर ताला बन्द कर गांव में भाग गये, वह अपने साले सुरेन्द्र को फोन किया, सुरेन्द्र के आने पर पूरी बात बतायी, थाने पर जाकर सुरेन्द्र ने दरखास्त दिया तथा मुकदमा दर्ज कराया।'' साक्षी ने यह भी कहा है कि उसने विवेचक को यह बयान नहीं दिया था कि ''उसकी पत्नी को उसके माता पिता उसके भाई अकलू उनकी पत्नी इन्द्रावती व छोटा भाई अखिलेश ने मिलकर मारा पीटा तथा उसे जलाकर मार डाला है।'' उसकी पत्नी राजकली से उसके मां बाप भाई, भाभी और छोटे भाई से बातचीत करते थे, संबंध खराब नहीं थे। उसने अपने भाई अकलू और उनकी पत्नी इन्द्रावती के विरूद्ध मुकदमा मु०अप०सं० 90/11 मारपीट के बावत दर्ज कराया हो याद नहीं है। साक्षी ने धारा–161 दं०प्र०सं० के बयान पढ़कर सुनाने पर इन्कार किया। यह कहना गलत है कि उसने मारपीट का एक मुकदमा अपने भाई अकलू और उनकी पत्नी इन्द्रावती के विरूद्ध दर्ज कराया था। उसी रंजिश से अकलू और इन्द्रावती तथा उसके पिता उगन और माता मातेश्वरी उसकी पत्नी राजकली को प्रताड़ित करते रहते थे। यह भी कहना गलत है कि अभियुक्तगण उपरोक्त के प्रताड़ना से तंग आकर उसकी पत्नी राजकली आग लगाकर आत्महत्या कर ली। बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कहा है कि घटना स्थल पर लगभग 50–60 लोगो की भीड़ थी। पंचनामा होते उसने नहीं देखा था। उस पंचायतनामा पर कागज पर हस्ताक्षर बनाया उस समय पंचायतनामा लिखा पढ़ी नहीं हुआ था अन्य पंचान को उसने हस्ताक्षर करते नहीं देखा। न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर साक्षी ने कहा है कि उसके माता पिता ने उससे बारह बजे दिन में सूचना दी थी कि राजकली खानी बनाते समय आग लग जाने के कारण जल कर मर गयी और उसके में उस समय गैस पर खाना बना करता था। उसके घर में खाना बरामदे में एक तरफ बनता था। खाना बनाते समय से उसकी पत्नी कमरा बीस फीट की दूरी पर है। उसका और उसके भाईयो का खाना अलग–अलग बनता था, बरामदा गैलरी नुमा है। जिसमें खाना बनता है। उसके धर में बिजली नहीं है। वह लोग मिट्टी का तेल से दीपक जलाकर रोशनी करते है। वह घटना स्थल पर तीन घंटे बाद पहुँच गया था। उस समय उसके घर के माता पिता और भाई भौजाई मौजूद थे। उसके घर का बरामदा जहा खाना बनता है, वह जमीन मिट्टी की है, वह सुलह नौ बजे अपने घर से निकला था। उस समय तक खाना नहीं बना था। थोड़ा कस्बा करके वह घर से निकला था। उसकी पत्नी और उसके घर वालों के बीच कोई झगड़ा नहीं होता था। उसकी पत्नी की जली अवस्था में बरामद में ही पड़ी थी। उसे नहीं मालूम कि उसकी पत्नी की शरीर पर जलने के अलावा अन्य चोटें कैसे आयी थी क्योंकि यह बात उसे मालूम नहीं है।

अभियोजन की ओर से साक्षी रीता को पी०डब्लू–3 के रूप में परीक्षित करवाया गया है, जिसने सशपथ बयान में कथन किया है कि "घटना हुये बयान देने से लगभग पाँच वर्ष हुआ। वह उस समय अपने मायके में थी। मायके से जब वापस आयी तो पता लगा कि एक सप्ताह पूर्व रमेश की पत्नी की मृत्यु हो गयी। रमेश की पत्नी राजकली की मृत्यु कैसे हुई उसे जानकारी नहीं है। घटना के संबंध में विवेचक ने उसका बयान नहीं लिया था। वह घटना के संबंध में कुछ नहीं जानती है।'' उक्त साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है और उससे प्रतिपरीक्षा की गयी है। प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कहा है कि पुलिस की सूचना पर हाजिर अदालत आयी है। वह पढ़ी लिखी नहीं है। उसने विवेचक को यह बयान नहीं दिया था कि ''दिनांक 06.04.2012 को शुक्रवार का दिन था अकलू की औरत इन्द्रवती ने उसे काली

मन्दिर स्थान पर पूजा के लिये चलने को कहा... ... ... सुबह में करीब 8.30 बजे से नौ बजे वह लोग काली माई स्थान पर पूजा करने के लिये निकली थी।'' साक्षी ने यह भी कहा है कि उसने विवेचक को यह बयान नहीं दिया है कि ''उसने विवेक को यह बयान नहीं दिया था कि ''वह घर पहुँची थी कि उसी समय शोर गुल को सुनकर बाहर आयी रमेश हल्ला कर रहा था कि उसकी पत्नी जल कर मर गयी। वह जाकर देखा तो रमेश की पत्नी बरामदें में जलकर मरी पड़ी थी। कहकर गयी थी। रमेश के घर के अन्य लोग डर के वजह से घर छोड़कर तत्काल चले गये। वह बाद में जानी की रेश के साले ने हत्या का मुकदमा उगन, उनकी पत्नी, अकलू तथा उनकी पत्नी व उनके लड़के विरूद्ध दर्ज करा दिया... ... ... .झगड़ा आदि होने के कारण रमेश की पत्नी स्वयं जलकर मर गयी है।'' साक्षी को धारा–161 दं०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाया गया तो उसने इन्कार किया और कहा कि दरोगा जी ने उसका बयान इस प्रकार कैसे लिख लिया वह नहीं बता सकती। यह कहना गलत है कि घटना के समय वह गांव में मौजूद थी। उसका घर रमेश और उगन के घर से लगभग एक फर्लाग दूर है। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण उगन, अकलू, इन्द्रावती और मोतेश्वरी ने रमेश की पत्नी राजकली को आत्महत्या के लिये उकसाया हो। जिसके कारण आजकली ने आग लगाकर आत्महत्या कर लिया हो।

अभियोजन की ओर से पी०डब्ल–4 के रूप में साक्षी कमलावती उर्फ कमली को परीक्षित करवाया गया है, जिसने सशपथ बयान में कथन किया है कि "बयान देने से लगभग पौने छ' वर्ष हुये उसने सुना था कि उसके गांव के रमेश गुप्ता उगन की पत्नी राजकली थी कि राजकली की जलने से मृत्यु हो गयी है। राजकली कैसे जली उसे जानकारी नहीं है। वह उस समय घर पर नहीं थी। अपने मायके गयी थी। इसके अलावा उसे कोई जानकारी नहीं है। घटना के संबंध में विवेचक ने उससे पूछताछ नहीं किया था। बयान बयान नहीं लिया था।'' उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है और प्रतिपरीक्षा किया गया है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षा में कहा कि उसका घर उगन के घर से दूर दूसरे टोले पर है। उनके घर उसका आना जाना नहीं है। वह मद्धेशिया है उगन दूसरी जाति के है। उसने विवेचक को यह बयान नहीं दिया था कि ''वह अपने घर के दरवाजे पर थी की शोर गुल सुनकर रमेश के घर के तरफ गयी तो रमेश चिल्ला रहे थे कि उसकी पत्नी जलकर मर गयी है वह तथा गांव के अन्य लोग जाकर देखे तो वह जलकर मर गयी थी।'' साक्षी ने यह भी कहा है कि उसने विवेचक को यह बयान नहीं दिया था कि ''उसने सुना कि वह रमेश को पूजा में नहीं देना चाहती थी। इसी कारण पति–पत्नी में सुबह झगड़ा हुआ था। रमेश की पत्नी का उसके पट्टीदारों से संबंध ठीक नहीं था, उनके बीच हमेशा झगड़ा हुआ करता था।'' साक्षी को धारा–161 दं०प्र०सं० का बयान पढ़कर इन्कार किया कहा दरोगा जी ने ऐसा बयान कैसे लिख लिया कारण नहीं बता सकती। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण के साजिश व प्रभाव आकर मुकदमें से बचने के लिये झूठी गवाही दे रहा हूँ।

अभियोजन की ओर से साक्षी संजू देवी को पी०डब्लू–5 के रूप में परीक्षित करवाया गया है, जिसने सशपथ बयान में कथन किया है कि "घटना हुये बयान देने से लगभग छः वर्ष से अधिक हुआ। गांव के लोगो को चर्चा करते हुये सुना था कि रमेश गुप्ता की पत्नी राजकली की मृत्यु हो गयी है। रजकली की मृत्यु कैसे हुई उसे जानकारी नहीं है। घटना के विषय में विवेचक ने पूछताछ नहीं किया था। बयान नहीं लिया था।'' उपरोक्त सक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है और

उससे प्रतिपरीक्षा की गयी है। प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कहा है कि उसे आज तक यह जानकारी नहीं है कि रमेश गुप्ता की पत्नी राजकली की मृत्यु कैसे हुई। उसने विवेचक को यह बयान नहीं दिया था कि ''दिनांक 06.04.2012 को शुक्रवार के दिन सुबह करीब 8.30 बजे इन्द्रावती देवी अपने पति व सास के साथ गांव की कुछ अन्य औरतों के साथ उसके दरवाजे के सामने से निकली वे पूजा में जा रहे रही थी। उससे सुबह में वे जलने को बोली थी वह साथ में चली गयी। काली माई के स्थान पर करीब आधा घंटा पूजा करने के उपरान्त वह वहीं दूसरे रास्ते जो काली मन्दिर का है, वहीं से वह लोग गांव में चले गये थे।'' उसने विवेचक को यह भी बयान नहीं दिया था। ''दोपहर में 12.30 बजे जब अजान हो रहा था तो वह लोग पूजा से वापस आये उसी वक्त हल्ला फैला कि रमेश की पत्नी जल कर मर गयी है। वह देखने गयी तो उसकी लाश जली पड़ी थी। रमेश हल्ला करने लगा कि उसके भाई भौजाई आदि ने उसकी पत्नी जलाकर मार डाला है।'' साक्षी को धारा–161 दं०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाने पर साक्षी ने इन्कार किया कि कहा कि विवेचक ने उसका बयान ऐसा कैसे लिख लिया कारण नहीं बता सकती। यह कहन गलत है कि अभियुक्तगण उगन, अकलू, इन्द्रावती और मोतीसरी के व्यवार से तंग आकर राजकली देवी ने आत्महत्या कर दिया है। उसके घर अभियुक्तगण के घर से लगभग दस बीघे की दूरी पर दूसरे टोले पर है। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण के गांव के होने के कारण उनके प्रभाव में आकर झूठी गवाही दे रहा है। बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कहा है कि रमेश की शादी के कुछ दिन बाद ही रमेश अपने परिवार उगर, मोतेश्वरी, अकलू, इन्द्रावती से अलग होकर रहने लगे और राजकली रमेश के साथ रहती थी। रमेश का खाना पीना सब कुछ अलग था। मुल्जिमान से रमेश से आपस में बिल्कुल पटती नहीं थी। मुल्जिमान से और रमेश राजकली से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं था। पुलिस से उसकी कभी कोई मुलाकात नहीं हुई और न कभी कोई बयान लिया।

अभियोजन की ओर से साक्षी डा० राजकुमार गुप्ता को पी०डब्लू–6 के रूप में परीक्षित करवाया गया है, जिसने सशपथ कथन किया है कि ''दिनांक 07.04.2012 को बहैसियत सर्जन सी०एस०सी० फाजिलनगर जिला कुशीनगर तैनात था, उस दिन डा० रमेश चन्द्रा चिकित्साधिकारी फाजिलनगर के साथ उनका पोस्टमार्टम हाउस कसया पर उनकी पोस्टमार्टम ड्यूटी थी। तत्कालीन नायब तहसीलदार पवन कुमार जायसवाल तहसील पडरौना सदर, जनपद कुशीनगर के द्वारा नौ संलग्न प्रपत्रों के साथ मृतका राजकली पत्नी रमेश गुप्ता, साकिन पिपरासी, थाना कुबेरस्थान, जिला कुशीनगर का शव कां० महेन्द्र सिंह व कां० जनार्दन यादव के माध्यम से उनके समक्ष पोस्टमार्टम हेतु समक्ष भेजा गया। उक्त राजकली के शव का पोस्टमार्टम दिनांक 07.04.2012 को पो०नं० 126/2012 को समय 3.30 PM पर किया गया। शव का शिनाख्त सम्बन्धित कां०गण द्वारा उन्हे करायी गयी। पोस्टमार्टम उनके द्वारा व डा० रमेश चन्द्रा संयुक्त रूप से किया गया। पोस्टमार्ट रिपोर्ट का विवरण निम्नवत है:–

मृतका रजाकली की बउम्र लगभग 28 वर्ष की थी। मृतका औसद कद काठी की थी। बरवक्त पोस्टमार्टम मृतका दोनों आंखे बन्द थी, मुंह खुला हुआ था, जीभ बाहर निकली हुई थी, नाक के दोनो नथुनों से रक्त स्राव हुआ था। राइगर मार्टिज लोवर व अपर लिम्ब मं मौजूद था। Pugilistic Attitude पूरे शरीर में मौजूद था। पूरा शरीर जला हुआ था, पैर के तलवे और दोनों हथिलियों को छोड़कर। बांया हाथ में प्लास्टर हुआ था। बाल झुलसे हुये थे। शरीर से किरोसीन आयल की दुर्गन्ध आ रही थी।

मृत्यु पूर्व चोटें:–1– कन्ट्यूज्ड स्वेलिंग सिर के दाहिने भाग में 6 X 3 सेमी० कान से 5 सेमी० उपर हुआ था।

2– कन्ट्यूज्ड स्वेलिंग 12 X 5 सेमी० सिर के बांये हिस्से के Parieto Occipital रिजन पर था।

3– शरीर के 90 प्रतिशत हिस्से पर बर्न इन्जरी मौजूद था। लाइन आफ डिमार्केशन और लाइन आफ रेडनेस मौजूद था। मृतका के शरीर पर फर्स्ट डिग्री का बर्न पाया गया।

आन्तरिक परीक्षण:– Scalp and skull–Cotused, Facture of both Parietal Bones Present, Membranes–Contused, about 200 ML of blood present in cranial Cavity, Brain–Conused, Base of skull–Fracture present, Thorax–Walls Buran presnt, Heart–Wt, about 230 grams chambers–Empty, Abdoman–Teeth 16/15, Abdomen Walls–Burn present,

आमाशय एवं उसकी अर्न्तबस्तुये– अध पचा भोज्य पदार्थ था, छोटी आंत एवं उसकी अर्न्तबस्तुये– पचा हुआ भोज्य पदार्थ था, बड़ी आंत एवं उसकी अर्न्तबस्तुये–छोटी मात्रा में मल पदार्थ और गैसें मौजूद थी। यकृत एवं पित्ताशय– पित्ताशय आधा भरा हुआ था। तिल्ली–नार्मल था।, गुर्दा–नार्मल था।, उनकी राय में मृतका की मृत्यु बरवक्ता पोस्टमार्टम एक दिन पूर्व की हुई प्रतीत होती थी। उनकी राय में मृतका की मृत्यु, मृत्यु पूर्व आयी चोटों के कारण कोमा, हैमरेज और शाक से हुई थी।

बाद पोस्टमार्टम मृतका के शरीर से प्राप्त एक अदद पेटीकोट जला हुआ टूकड़ा, बाल का गुच्छा, टूटी हुई चुड़ियां कुल अदद, सर्व मोहन कर मृतका के शव व संलग्नक नौ प्रपत्रों के साथ सम्बन्धित कां० को सुपुर्द किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट संलग्न पत्रावली कागज संख्या–7 क बरवक्त पोस्टमार्टम उनके हस्तलेख और हस्ताक्षर में डाक्टर रमेश चन्द्रा की मौजूदगी में तैयार किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की इबारत को साक्षी ने पढ़कर तसदीक किया उसपर अपने हस्तलेख हस्ताक्षर तथा डा० रमेश चन्द्रा के हस्ताक्षर की साक्षी ने पहचान किया जिसपर प्रदर्श क–2 डाला गया। प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कहा है कि मिट्टी की तेल की महक पूरे शरीर पर आ रही थी। आदमी आग लगाकर सुसाइड कर ले तो और कमरे में तड़पाये तो किसी बस्तु से टकराने से चोट नम्बर–1 व 2 आ सकती है।

अभियोजन की ओर से साक्षी प्रियंका गुप्ता को पी०डब्लू–7 के रूप में परीक्षित करवाया गया है, जिसने सशपथ कथन किया है कि "उसकी मां राजकली देवी की मृत्यु बयान देने से करीब 8–9 साल हो गया है। उसकी मां जब जली थी वह घर पर नहीं थी। गांव के बसवारी की तरफ गयी थी। उसने किसी को आग लगाते हुये नहीं देखा था और न ही मां को जलते हुये देखा था। उसने मम्मी राजकली मरे हुये शव को देखा था। उसे जानकारी है कि जलने के पहले उसकी मां का झगड़ा घर में उसके बाबा–दादी या किसी से हुई थी कि नहीं। उसे यह भी जानकारी है कि उसकी मां किसी से परिवार में आहत थी की नहीं। उसे नहीं पता कि उसकी मां क्यो जली थी। घर में किसी सदस्य से घटना के पहले परिवार में किसी से मां का लड़ाई झगड़ा या बाता कहीं होते उसने नहीं देखी थी।'' उक्त साक्षी से जिरह नहीं की गयी है।

अभियोजन की ओर से साक्षी प्रथम विवेचक सौदागर राय को पी०डब्लू–8 के रूप में परीक्षित करवाया गया है, जिसने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि

''दिनांक 06.04.2012 को बतौर थानाध्यक्ष कुबेरस्थान पर नियुक्त था। वादी सुरेन्द्र गुप्ता पुत्र शिवराज गुप्ता, ग्राम महुअवा बुजुर्ग, थाना तुर्कपट्टी, जनपद कुशीनगर की लिखित तहरीर पर थाना कार्यालय पर मु०अप०सं०–186/2012 अंतर्गत धारा–302,147,34 भा०दं०सं० में पंजीकृत होकर हे०मु० बैजनाथ राय द्वारा जरिये नकल रपट कायमी मुकदमा व नकल चिक एफ०आई०आर० के मुकदमें की विवेचना हेतु उन्हे जरिये उपनिरीक्षक विजय शंकर पाण्डेय मय हमराह कां० महेन्द्र सिंह व जनार्दन यादव नकल चिक, नकल रपट व पंचायतनामा व अन्य दिगर कागजात के साथ घटना स्थल पर रवाना किया तथा उसे जिरये आर०टी० सेट/टेलीफोन के जरिये संसूचित किया। वह सूचना पाकर जिला मुख्यालय अपराध गोष्ठी से वह हमराहियान सीधे घटना स्थल पर पहुँचा, साथ में क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक एवं नायब तहसीलदार महोदय भी मौके पर आ गये। नायब तसहीलदार सदर के निर्देशन में उप निरीक्षण विजय शंकर पाण्डेय द्वारा पंचायतनामा की कार्यवाही मुरत्व की गयी तथा कां० महेन्द्र सिंह व जनार्दन यादव को लाश सुपुर्द कर पोस्टमार्टम हेतु रवाना किया। उसने मौके से विवेचना में मामूर होकर मौके घटना स्थल पर ही केस डायरी का पर्चा नं–1 दिनांक 06.04.2012 को ही तैयार किया जिसमें उसने नकल तहरीर, नकल रपट कायमी, मुकदमा पंचायतनामा की कार्यवाही का विवारण तथा मौका घटना स्थल से एक अदद पिपिया मिट्टी तेल एक अदद माचिस, व जली हुई मिट्टी तथा सादी मिट्टी को अलग–अलग डिब्बे में रखकर कपड़े से लिपटकर सीलबन्द कर सर्व मोहर उपस्थित गवाहान के समक्ष कब्जे में लिया। नमूना मोहर भी तैयार किया, फर्द भी तैयार किया। जिसपर उपस्थित गवाहान विरेन्द्र चौबे, मंतोष पाण्डेय ने अपना हस्ताक्षर बनाया। उसने भी हस्ताक्षर किया। फर्द का तस्करा केस डायरी में किया। मौके पर ही नक्शा नजरी घटना स्थल तैयार किया। नक्शा नजरी वादी मुकदमा व मृतका के पति के निशानदेही पर तैयार किया तथा तस्करा केस डायरी किया। तत्पश्चात् आियुक्तगण के गिरफ्तारी के लिये प्रयास किया, दस्तयाब नहीं हुये। मुखबिर खास को निर्देशित किया तथा विवरण अंकित केस डायरी करते हुये पर्चा नम्बर–1 किता किया। पुनः दिनांक 08.04.2012 को मामले की विवेचना में मामूर हो केस डायरी का पर्चा नम्बर–2 जिसमें थाना कार्यालय से प्राप्त पी०एम० रिपोर्ट का अवलोकन किया। अवलोकन पंचायतनामा का विवरण अंकित केस डायरी तथा अभियुक्तगण के सुरागरसी तथा पतारसी की गयी तथा प्रयास गिरफ्तारी का विवरण अंकित करते हुये केस डयरी का विवरण अंकित करते हुये केस डायरी पर्चा नम्बर–2 किता किया। साक्षी को शामिल पत्रावली कागज संख्या–6 क फर्द दिखाया गया, जिसे देख पढ़कर साक्षी ने स्वयं के लेख हस्ताक्षर में होने की पहचान किया व उल्लेखित तथ्यों को तसदीक किया जिसपर प्रदर्श क–3 डाला गया। साक्षी को शामिल पत्रावली कागज संख्या–6 क/1 नक्शा नजरी दिखाया गया। देख पढ़कर लिखित तथ्यों को तसदीक करते हुये स्वयं के लेख में होने व अपने हस्ताक्षर की पहचान की, जिसपर प्रदर्श क–4 डाला गया।

पुनः अपने मुख्य परीक्षा में साथी ने कहा कि मामले में मौका घटना स्थल से एक अदद मिट्टी के तेल के गैलन एक अदद माचिस की डिब्बी तथा जली हुई राख मुकदमाती थाना कार्यालय से पैरवीकार द्वारा समक्ष न्यायालय लाया गया। न्यायालय की अनुमति से कपड़ा खोजकर साक्षी को दिखाया गया। साक्षी ने गैलन की पहचान की। जिसपर बस्तु प्रदर्श क–1 डाला गया। एक अदद माचिस की डिब्बी जिसमें थोड़ा हिस्सा जला हुआ जिसको साक्षी ने पहचान किया जिसपर बस्तु प्रदर्श क–2 डाला गया। दो

अलग–अलग डिब्बे को कपड़े से लिपटे हुये है, साक्षी को खोलकर दिखाया गया तो साक्षी ने पहले डिब्बे में जली हुई सम्बन्धित डिब्बी की पहचान की, दूसरी डिब्बी में घटना स्थल से मिट्टी की पहचान पर बस्तु प्रदर्श क–3 व 4 डाला गया। उक्त साक्षी मामले के प्रथम विवेचक थे। जिनके द्वारा घटना स्थल की नक्शा नजरी प्रदर्श क–4 अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया जाना साबित किया हैं। इसके अतिरिक्त घटना स्थल से गैलन, माचिस की डिब्बी व मिट्टी को सादी मिट्टी की फर्द तैयार की गयी है जो बस्तु प्रदर्शत्–1 ता बस्तु प्रदर्श–4 है।

<u>अभियोजन की ओर से साक्षी सत्येन्द्र कुमार को पी०डब्लू–9 के रूप में परीक्षित करवाया गया है, जिसने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि</u> मु०अप०सं०–186/2012 की विवेचना मेरे पूर्व थानाध्यक्ष रहे सौदागार राय द्वारा की जा रही थी। उनके स्थानान्तरण के दौरान में बतौर थानाध्यक्ष थाना कुबेरस्थान का प्रभार किया तथा पूर्व विवेचना शुदा केस डायरी पर्चेजात एवं संलग्न प्रपत्रों से इस मामले की विवेचना उसने ग्रहण किया। दिनांक 15.04.2012 को इस मामले की विवेचना में पर्चा नम्बर–3 किता किया जिसमें विवेचना ग्रहण करने के लिये तथा पूर्व किता पर्चा नम्बर 1 ता पर्चा नम्बर–2 का अवलोकन तथा पंचायतनामा व पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा तस्करा किया। पुनः दिनांक 15.04.2012 को पुनः विवेचना में मामूर होकर पर्चा नम्बर–3A किता किया जिसमें वादी का बयान सुरेन्द्र गुप्ता पुत्र शिवलाल का बयान अंकित किया तथा मृतका के पति रमेश गुप्ता पुत्र उगन गुप्ता का बयान अंकित किया। पुनः दिनांक 16.04.2012 को विवेचना में मामूर होकर पर्चा नम्बर–4 किता किया जिसमें बयान गवाह श्रीमती रीता पत्नी मैनेजर का बयान अंकित किया। तत्पश्चात् गवाह श्रीमती कलावती देवी पत्नी जानकी मद्धेशिया, श्रीमती सकू देवी पत्नी हरी गौड़, सुगान्ती देवी पत्नी मोती गुप्ता का बयान अंकित किया गया। पुनः दिनांक 17.04.2012 को मामले में मामूर होकर पर्चा नम्बर–5 किता किया जिसमें उसने साक्षी भमीन्धर गुप्ता पुत्र अर्जुन गुप्ता, बृजलाल गुप्ता पुत्र जानकी गुप्ता बरई गुप्ता पुत्र कोदई गुप्ता का बयान अंकित किया। पुनः दिनांक 17.04.2012 को केस डायरी पर्चा नम्बर–5A किता किया जिसमें उसने मृतका राजकली के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डा० राजकुमार गुप्ता का बयान अंकित किया। अग तक की तमामी विवेचना से गवाहों के बयानात एवं प्रपत्रों के आधार पर मामले में धारा–302, 147, 302/34 भा०दं०सं० का अपराध के स्थान पर धारा–306 भा०दं०सं० का अपराध घटित होना पाया गया। तदुपरान्त उल्लेख करते हुये मामला 306 श्राा०दं०सं० के अंतर्गत अग्रसारित किया तथा पुनः दिनांक 18.04.2012 को मामले की विवेचना में पर्चा नम्बर–6 किता किया गया जिसमें उसने अभियुक्तगण उगन पुत्र कोदई, मुन्देश्वरी पत्नी उगन, अकलू पुत्र उगन तथा इन्द्रावती पत्नी अकलू की गिरफ्तारी नियमानुसार की गयी। तत्पश्चात् बयान अभियुक्त उगन, मुक्तेश्वरी, अकलू, इन्द्रावती का बयान अंकित किया तथा अभियुक्तगण को थाना कार्यालय अन्दर हवालात दाखिल किया। तपश्चात् रिमाण्ड हेतु न्यायालय दाखिल किया जिसका विवरण केस डायरी पर्चा नं०–6A को किता किया। पुनः दिनांक 25.04.12 को मामले की विवेचना में मामूर होकर पर्चा नं०–7 किता किया जिसमें बयान मृतका की लड़की प्रियंका पुत्र रमेश का बयान अंकित किया। अब तक की तमामी विवेचना से अभियुक्तगण उगन पुत्र कोदई, मातेश्वरी पत्नी उगर, अकलू पुत्र उगन, इन्द्रावती पत्नी अकलू, साकिनान पिपरासी, थाना कुबेरस्थान, जनपद कुशीनगर के विरूद्ध अपराध धारा–306 भा०दं०सं० का पाते हुये आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया,

आरोप पत्र संख्या–71/2012 तैयार कर उल्लेख केस डायरी करते हुये जरिये विवेचना सहित सभी प्रपत्रों चालान न्यायालय प्रेषित किया। साक्षी को शामिल पत्रावली कागज संख्या–9 क 3 जी०डी० रपट नम्बर–34 कार्बन नकल साक्षी को दिखाया गया, जिसे देख पढ़कर स्वयं के लेख हस्ताक्षर में होने बनवाने दाया नकल होने की साक्षी ने पहचान किया जिसपर प्रदर्श क–5 डाला गया। साक्षी को शामिल पत्रावली कागज संख्या–10 क गिरफ्तारी मेमो दिखाया गया। उल्लिखित तथ्यों को देखकर साक्षी ने स्वयं के हस्ताक्षर में होने की पचान किया जिसपर प्रदर्श क–6 डाला गया। साक्षी को शामिल पत्रावली कागज संख्या–3 क 1 आरोप पत्र दिखाया गया, उल्लिखित तथ्यों को तसदीक करते हुये स्वयं के लेख व हस्ताक्षर में होने की पहचान किया जिसपर प्रदर्श क–7 डाला गया। इस केस में उनके साथ तैना रहे हे०मु० बैजनाथ रामज ने चिक किता व रपट मुकदमा किया था। उनके साथ भी बगैर हे०मु० रहे थे, उन्हे लिखते पढ़ते हस्ताक्षर बनाते हुये अक्सर देखा था। उनके लेख व हस्ताक्षर को भंली भांति पहचान सकता है। वर्तमान में उनकी जानकारी वह सेवानिबृत्त होकर काफी अस्वथ रहने वाले है। साक्षी को शामिल पत्रावली कागज संख्या–5 क 1 चिक एफ०आई०आर० दिखाया गया, तत्कालीन हे०मु० बैजनाथ राव के लेख व हस्ताक्षर में होने की साक्षी ने पहचान किया जिसपर प्रदर्श क–8 डाला गया। साक्षी को शामिल पत्रावली कागज संख्या–9 क 2 जी०डी० कायमी नकल कार्बन प्रति दिखाया गया, तत्कालीन हे०मु० बैजनाथ राम के लेख की कार्बन छाया प्रति में होने की साक्षी ने पहचान किया जिस पर प्रदर्शक –9 डाला गया। उक्त साक्षी मामले के द्वितीय विवेचक है। जिनके द्वारा विवेचना के दौरान की गयी कार्यवाही के अतिरिक्त हे०मु० बैजनाथ के द्वारा चिक एफ०आई०आर० व जी०डी० कायमी को तैयार किया जाना साबित है जो पत्रावली पर प्रदर्श क–8 व प्रदर्श क–9 है।

बचाव पक्ष की ओर से अपने कथन के समर्थन में साक्षी सुरेश पासवान को डी०डब्लू–1 के रूप में परीक्षित करवाया गया है, जिसने सशपथ बयान में कथन किया है कि घटना बयान देने से लगभग 13 वर्ष पूर्व की है। समय लगभग दोपहर 11.30 या 12.00 बजे की है। उस दिन पूर्णवासी का दिन था और दिन शुक्रवार था। उगन उसके गांव के है। उगन की पतोहू रमेश की पत्नी का खाना बनाते समय जल जाने की शोर गुल सुनकर वह भी उनके घर आया तो पता चला कि जिस समय घटना घटी थी उस समय उनके पति रमेश मजदूरी करने घर से ईट–भट्ठे पर चले गये थे और अलग रहकर अपना भरण पोषण कर रहे थे। उनके पिता उगन माता मातेश्वर, बड़े भाई अकलू और अकलू की पत्नी इन्द्रावती ये सभी लोग घर पर मौजूद नहीं थे, यह लोग गृहस्थी कार्य से खेत में गये थे। वह जब गया तो यह जानकारी हुई कि आग पकड़ लेने के बाद वह घर में अकेली रहने के कारण जल गयी थी। मौके पर कोई घर का आदमी मौजूद होता तो यह दुर्घटना नहीं होती, रमेश अपने पिता एवं भाई से घटना से पूर्व से अलग रहकर अपना भरण पोषण करता था। रमेश की पत्नी का अपनी माता पिता भौजाई से कोई बात विवाद नहीं था। न ही गांव के लोग या उसके द्वारा कभी कोई विवाद हाते देखा ही नहीं था। मृतका राजकली को घटना के समय दो बेटे और एक लड़की थी। मृतका के बच्चे अपने दादा दादी के पास आते जाते मिलते जुलते थे। उसके मौके पर पहुँचने से पूर्व गांव के बहुत लोग घटना स्थल या उगन के घर मौजूद थे। सभी लोगो के द्वारा इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि खाना बनाते समय कपड़े में आग पकड़ लेने और घर किसी की मौजूदगी न होने के कारण रमेश की औरत जल गयी। गांव के लोग उनलोगो के साथ उसने घटना स्थल पर जाकर देखा तो वहां पर मिट्टी का तेल/बोतल/शीशी माचिस की

तिल्लियां आदि बिखरे लोगो के द्वारा यह बतायी गयी मिट्टी का तेल खाना बनाते वाली जगह पर मौजूद था और शीशी लुढ़कने के कारण आग तेजी से शरीर में पकड़ लिया। रमेश तीन भाई है, जिसमें दो भाई आज भी माता पिता के साथ रहते है। जिसमें अकले व अखिलेश आज भी अपने माता पिता के साथ है। प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कहा है कि अभियुक्त के कहने पर गवाही देन आया है। उसने उस मामले में कभी किसी दरोगा को घटना के किसी बिन्दु पर कोई बयान नहीं दिया था। वह मृतक के लाश के पंचनामा के समय भी मौजूद नहीं था। वह इस घटना के सम्बन्धित किसी भी कार्यवाही में नहीं नहीं रहा है। इसलिये घटना की कोई जानकारी उसे नहीं है। अभियुक्तगण उसके ही गांव के है। इनलोगो से उसका बातचीत सम्बन्ध काफी अच्छा है।

बचाव साक्षी डी०डब्लू–2 धीरज चौबे ने ने अपने बयान में कथन किया है कि घटना हुये लगभग बयान देने से 13 साल हो गया। उगन के तीन लड़के है। जिसमें अखिलेश और अकलू माता पिता के साथ रहते थे और रमेश अपने माता पिता से अलग रहते थे। रमेश के एक लड़की, दो लड़के अपने बाबा, दादी के पास आते जाते रहते थे। रमेश अपनी शादी के बाद अपनी पत्नी राजकली और बच्चो के साथ घटना के समय अपने माता पिता से अलग रहते थे। घटना 11.30 बजे सुबह की थी। उस वक्त मृतिा के पति मजदूरी के सिलसिले में सुबह घर से चले गये थे। उगन, अकलू, मातेश्वरी और इन्द्रावती, पूजा पाठ करने के बाद घर गृहस्थी हेतु खेत में चले गये थे। उस दिन बुद्व पूर्णिमा का दिन था। घटना की शोर सुनकर सब लोग वहां गये थे और वह भी घटना स्थल पर गया था तो देखा गया कि खाना बनाते समय मिट्टी के तेल जली शीशी के लुढ़कने के कारण आग तेजी से फैल गया और मृतका राजकली के कपड़े में पकड़ लिया। चूँकि उस वक्त घर पर कोई कोई सदस्य मौजूद नहीं था। यदि कोई घर का सदस्य मौजूद रहता तो आग बुझाने में मदद करता और मृतका नहीं जल पाती। तथाकथित घटना के पूर्व रमेश या उनकी पत्नी मृतका राजकली से उनके माता पिता या जेठ–जेठानी से वाद विवाद या झगड़ा नहीं हुआ था। घटना स्थल पर देखा गया तो जलती हुई खाना बनान वाली लकड़ी मिट्टी के तेल की शीशी माचिस की डिबियां वर्तन आदि विखरे पड़े थे। मृतका राजकली अपने पति रमेश के साथ शादी के बाद से ही अलग रहकर अपना भरण पोषण करती थी, कभी भी उगल, अकलू, मातेश्वर, बिन्द्रावती इन लोगो के द्वारा राजकली के द्वारा कभी भी कोई वाद विवाद नहीं हुआ था। प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कहा है कि इस केस के मुल्जिमानों के कहने पर और बताने पर गवाही दिया हूँ। इस केस के बारें में उसे व्यक्तिगत कोई जानकारी नहीं है। घटना के बाद जब वह घटना पर पहुँचा तो गांव के आधे से ज्यादा महिला पुरूष 150–200 की संख्या में थे। उसने किसी प्रकार की घटना होते हुये अपनी आंखो से नहीं देखा था। घटना कैसे हुई इसकी जानकारी उसे नहीं है।

उपरिवर्णित साक्ष्यों के अवलोकन एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट मृतका का भाई सुरेन्द्र गुप्ता द्वारा थाना कुबेरस्थान पर दी गयी तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर पंजीकृत को गयी है। सुरेन्द्र गुप्ता पी०डब्लू–1 दूसरे गांव के निवासी है, तहरीर में उन्होने घटना के बारें में जानकारी रमेश गुप्ता अर्थात् बहनोई द्वारा दिया जाना बताया है कि लेकिन न्यायालय में दिये गये बयान में उसने मृतका के ससुर उगन द्वारा दिया जाना बताया है। सूचना पाकर राजकली के ससुराल पहुँचा देखा कि मृतका की लाश जली अवस्था में पड़ी थी। तहरीर के संबंध में पी०डब्लू–1 ने कहा है कि जिस समय तहरीर दिया गया कागज सादा था, अर्थात् उसके

अर्न्तबस्तु से साफ तौर पर इन्कार किया है। उसे घटना क्रम की जानकारी नहीं है। वह घटना के समय अपने घर पर था। पी०डब्लू–1 के बयान से स्पष्ट है कि मृतका अभियुक्तगण से अलग रहकर अपना जीवन यापन करती थी। अभियुक्तगण से कोई वास्ता सरोकार नहीं था। मृतका व उसके परिवार के मध्य संबंध सामान्य थे। पी०डब्लू–1 ने न्यायालय में दिये गये बयान से अभियोजन कथानक का लेश मात्र समर्थन नहीं होता है। साक्षी विवेचक को दिये गये बयान से भी मुकर गया है। थाने पर किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र देने से इन्कार किया है। मृतका के पति रमेश गुप्ता पी०डब्लू–2 ने भी घटना का समर्थन नहीं किया है। जिस समय घटना हुई थी उस समय वह ईट भट्ठे पर गया था। पी0 डब्लू–2 ने अपने बयानों में कहा है कि कपड़े में आग लग जाने के कारण राजकली बचाने के लिये बरामदे में दीवार से टकराकर गिर गयी , आग बुझ नहीं पायी और जलने के कारण उसक मृत्यु हो गयी। आगे अपने बयान में कहा है कि घर में उस समय उसकी पत्नी राजकली अकेली थी, घर के लोग भी उससे अलग रहते थे। उसके मां बाप बड़ा भाई अकेले और भाभी इन्द्रावती तथा भाई कमलेश खेत में काम करने गये थे। पड़ोस के लोगो ने सूचना दिया तब घर के लोग पहुँचे थे। देख कि राजकली जली पड़ी है। उसकी पत्नी की मृत्यु दुर्घटना वश लगी आग से खाना बनाते समय जलने के कारण हुई थी। विवेचक ने उसका बयान नहीं लिया था। इस प्रकार पी०डब्लू–2 के बयानों से अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं होता है। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू–3 रीता, पी०डब्लू–4 कलावती व पी०डब्लू–5 मंजू के साक्ष्यों से स्पष्ट है कि लोगो के चार्चा में सुना था कि राजकली की जलने से मृत्यु हो गयी थी। परन्तु उसकी मृत्यु कैसे हुई यह साक्षीगण को जानकारी नहीं है। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू–7 प्रियंका जो मृतका राजकली की पुत्री हैए उसने अपने बयानों में कहा है कि उसकी मां जब जली थी वह घर पर नहीं थी। उसने किसी केा आग लगाते हुये नहीं देख था और न ही मांग को जलते हुये देखा था। जलने से पहले उसकी मां का झगड़ा घर में उसके बाबा–दादी या किसी से हुई थी कि नहीं उसे यह जानकारी नहीं है। उसकी मां किसी से परिवार में आहत थी कि नहीं उसे नहीं पता। घर में किसी सदस्य से घटना के पहले परिवार में किसी से मां का लड़ाई झगड़ा या बाता कहीं होते उसने नहीं देखी थी। बचाव पक्ष की ओर से दो साक्षी डी०डब्लू–। सुरेश पासवान व डी०डब्लू–2 धीरज चौबे परीक्षित हुये है। उपरोक्त दोनो ही साक्षी के बयान में आया है कि मृतका राजकली खाना बनाते समय जल गयी थी और उसका पति रमेश उस समय ईट भट्ठे पर काम करने लिये गया था। मृतका परिवार के अन्य सदस्य अलग रहती थी और अपना भरण पोषण करती थी। उन्हे जानकारी है कि मृतका घटना के समय घर पर अकेली थी, घर कोई सदस्य मौजूद नहीं था। मौके पर मिट्टी का तेल, माचिस की तिल्ली बिखरी हुई थी। मिट्टी के तेल मौजूद थे। शीशी लुढ़कने से आग पकड़ लिया। इस प्रकार स्पष्ट है कि मृतका व उसका पति रमेश परिवार के अन्य सदस्यों से घटना के पूर्व से पृथक रहते थे। रमेश घटना के समय ईट भट्ठे पर काम करने गया था। परिवार के सदस्यों से कोई नाता नहीं था। पोस्टमार्टमकर्ता डा० राजकुमार गुप्ता पी०डब्लू–6 के साक्ष्य में आया है कि पोस्टमार्टम के समय मिट्टी के तेल की दुर्गन्ध आ रही थी। विवेचकगण पी०डब्लू–8 व पी०डब्लू–9 के बयानों से सपष्ट है कि मौके पर मिट्टी का तेल, माचिस की डिब्बी, मिट्टी व सादी मिट्टी का फर्द बरामदी तैयार की गयी थी। आरम्भ में मुकदमा 147,302/34 भा०दं०सं० में पंजीकृत किया गया था किन्तु वाद विवेचना विवेचक द्वारा आरोप पत्र धरा–306 भा०दं०सं० में प्रेषित किया गया है। अभियोजन साक्ष्यों के विश्लेषण एवं साक्षियों के बयानों से स्पष्ट है कि मिट्टी का तेल

घटना पर पाये गये तब से मृतका के कपड़ो में आग की लपट पकड़ लेने के कारण मृतका जल गयी थी। आत्महत्या के लिये दुष्प्रेरण साबित नहीं है। यह साबित नहीं किया है कि मृतका को आत्महत्या करने के लिये दुष्प्रेरण किया जाना सिद्ध है। मृतका की मृत्यु दुर्घटना बस कपड़े में आग पकड़ लेने के कारण हुई थी। तथ्य के सभी साक्षी पक्षद्रोही हो गये उन्होने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। उनसे अभियोजन की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा से ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है कि जिससे अभियुक्तगण द्वारा मृतका को आत्महत्या करने के लिये दुष्प्रेरण किया गया है। समस्त साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि मृतका की मृत्यु दुर्घटना वश कपड़े में आग पकड़ लेने के कारण हुई थी। अभियुक्तगण द्वारा उसको उकसाने के लिये सकारात्मक साक्ष्य उपलब्ध होना चाहिये। अभियोजन साक्ष्य में संदेह के बादल विद्यमान है। अभियोजन का यह दायित्व है कि अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप को अकाट्य व विश्वनसीय साक्ष्य से युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करें, संदेह कितना ही गहरा क्यों न हो साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता है। अतः समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों के आलोक में यह कहां जा सकता है कि अभियोजन युक्ति–युक्त संदेह से परे अभियुक्तगण उगन, मोतेश्वरी, अकलू व इन्द्रावती के ऊपर लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा–306 भारतीय दण्ड संहिता, साबित करने में पूर्णतः विफल रहा हैं तथा अभियुक्तगण को संदेह का लाभ दिया जाना न्यायोचित होगा। अभियुक्तगण उगन, मोतेश्वरी, अकलू व इन्द्रावती के ऊपर लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा–306 भारतीय दण्ड संहिता,से, दोष मुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्तगण उगन, मोतेश्वरी, अकलू व इन्द्रावती को मुकदमा अपराध संख्या–186/2012,अंतर्गत धारा–306 भारतीय दण्ड संहिता, थाना–रामकोला, जिला– कुशीनगर के तहत लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

दोष मुक्त अभियुक्तगण पहले से जमानत पर है, उनके व्यक्तिगत बन्धपत्र खण्डित किये जाते है तथा उनके जमानतदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण धारा–437A दं०प्र०सं० के अनुपालन में मु०– पचहत्त–पचहत्त हजार रूपये की दो जमानत तथा उतनी ही धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र दाखिल किया गया है ।

प्रस्तुत मामले में पी०डब्लू– 1 वादी मुकदमा सुरेन्द्र गुप्ता, पी०डब्लू–2 रमेश गुप्ता, पी०डब्लू–3 रीता, पी०डब्लू–4 कलावती व पी०डब्लू–5 मंजू न्यायालय में पक्षद्रोही हो गये है तथा जानबूझकर मिथ्या साक्ष्य दिया गया या मिथ्या साक्ष्य गढ़ा गया है, अतः उपरोक्त परिस्थितियों में पी०डब्लू– 1 वादी मुकदमा सुरेन्द्र गुप्ता, पी०डब्लू–2 रमेश गुप्ता, पी०डब्लू–3 रीता, पी०डब्लू–4 कलावती व पी०डब्लू–5 मंजू के विरूद्ध धारा 344 दं०प्र०सं० के तहत प्रकीर्ण वाद अंतर्गत धारा–344 दं०प्र०सं० में दर्ज कर नोटिस जारी की जाये।

दिनांक/कुशीनगर।
अप्रैल 06, 2026

(इफराक अहमद)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं०–1,
कुशीनगर, स्थान–पड़रौना।
I.D.No.UP06193

यह निर्णय व आदेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया है।

दिनांक/कुशीनगर।
अप्रैल 06, 2026

(इफराक अहमद)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं०–1,
कुशीनगर, स्थान–पड़रौना।
I.D.No.UP06193

Digitally signed by IFRAQUE AHMAD
Date: 2026.04.06 15:36:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court